


# वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2022-23



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
Airports Economic Regulatory Authority of India







# वार्षिक रिपोर्ट

## 2022-23





## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

### वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

#### 1. प्रस्तावना

श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित सांविधिक निकाय है, इसकी स्थापना सरकार की दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) द्वारा की गई। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।

#### 2. प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों का प्रोफाइल

##### (क) श्री बलविंदर सिंह भुल्लर, अध्यक्ष



श्री बलविंदर सिंह भुल्लर ने 8 जुलाई, 2019 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

श्री भुल्लर, अमृतसर, पंजाब से हैं और उनका शैक्षिक कैरियर असाधारण है। बी.एससी (ऑनर्स) और कृषि विज्ञान में एम.एस.सी करने के पश्चात, वे 1986 में उत्तर प्रदेश काडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए।

आईएएस अधिकारी के रूप में श्री भुल्लर ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में प्रशासन, उद्योग, वित्त, विद्युत, शहरी विकास, परिवहन, नागर विमानन आदि विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट-गाजियाबाद और कानपुर नगर; नगरपालिका आयुक्त, वाराणसी; उत्तर प्रदेश वित्त निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक; सचिव, सिंचाई और जल संसाधन; परिवहन एवं वित्त विभागों में प्रधान सचिव; चतुर्थ उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य आदि के रूप में काम किया। भारत सरकार में उन्होंने 13वें केंद्रीय वित्त आयोग में संयुक्त सचिव; वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में संयुक्त सचिव; नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अपर सचिव के रूप में और अंत में मई, 2019 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) के रूप में कार्य किया।

##### (ख) श्री शिरीष कृष्ण व्यवहारे, सदस्य



श्री शिरीष कृष्ण व्यवहारे ने 01 नवम्बर, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के सदस्य के रूप में कार्य ग्रहण किया। उन्होंने 1983 में भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी से सिविल इंजीनियरी में बी. टेक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही सितम्बर, 2011 में प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव द्वारा संचालित 30 दिवसीय उच्च प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रारंभ में श्री व्यवहारे ने गैमन इंडिया लिमिटेड में चार वर्ष तक कार्य किया। 1989 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में कार्य ग्रहण करने के बाद वे कार्यपालक निदेशक, अभियांत्रिकी के पद पर आसीन हुए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में श्री व्यवहारे ने इलाहाबाद स्थित नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, उत्कृष्टता केन्द्र का कार्य किया। भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों पर नए विस्तार योग्य मॉड्यूलर एकीकृत टर्मिनल भवन का कार्य संपादित किया। भोपाल हवाई अड्डे और इंदौर हवाई अड्डे को इस्पात विकास एवं संवृद्धि संस्थान द्वारा आयोजित संरचनात्मक इस्पात डिजाइन और निर्माण व्यवसायी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 2010-11 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय रैंक प्रदान की गई। श्री व्यवहारे को इंदौर टर्मिनल भवन के लिए इकोनॉमिक रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित "सुप्रीम इंजीनियर (SUPREME ENGINEER)" पुरस्कार 2012 और भोपाल टर्मिनल भवन के लिए इंडियन बिल्डिंग्स काँग्रेस पुरस्कार 'आईबीसी ट्रॉफी-2011' प्रदान किया गया।

श्री व्यवहारे को इंजीनियरिंग सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 15 सितम्बर, 2012 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की ओर से 'श्री विश्वेश्वरैया पुरस्कार' प्रदान किया गया।

**(ग) श्री धर्मेन्द्र कुमार कामरा (आईएपी), सदस्य**



श्री कामरा ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के साथ-साथ निर्माण प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एमबीए किया है। उन्हें इकाओ के सहयोग से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा आईएपी (अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रोफेशनल) का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने विमानपत्तन प्रबंधन व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रम (एएमपीएपी) पूर्ण किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा संचालित "सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से हवाई अड्डा विकास", प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) और फ्रेंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जर्मनी द्वारा संचालित वरिष्ठ प्रबंधन विकास संबंधी उच्च प्रबंधन कार्यक्रम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए।

पांच (5) वर्ष प्राइवेट सेक्टर और चार (4) वर्ष तक एनडीडीबी में सेवा करने के बाद श्री कामरा ने 1994 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यग्रहण किया। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 35+20 गैर-मैट्रो हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। परियोजना तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने का व्यापक अनुभव होने के कारण उन्हें निर्माण उद्योग में कई पुरस्कार प्रदान किए गए। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जम्मू हवाई अड्डा टर्मिनल (दोनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह- IV स्टार का दर्जा दिया गया) की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के बाद उन्हें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2016 (सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना) प्रदान किया गया। साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्काॅच बीएसई ऑर्डर ऑफ मेरिट और स्कोटेक बीएसई पुरस्कार, नेटवर्क 18 और हनीवेल द्वारा बिल्ट इन्वायरन्मेंट 2014-15 में उत्कृष्टता के लिए आईबीसी पुरस्कार एवं स्मार्ट बिल्डिंग एवार्ड 2016 प्रदान किए गए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वर्ष 2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका निम्नलिखित योगदान रहा:


- (क) 2017-19 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में एयरफील्ड अवसंरचना, कार्गो आदि का विकास करने के लिए संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का कायापलट करने पर उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष का उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018 प्रदान किया गया। तत्पश्चात उन्हें लोक सेवक श्रेणी में सीआईडीसी-2019 विश्वकर्मा पुरस्कार से भी नवाजा गया।
- (ख) कार्यपालक निदेशक (जेवीसी और टैरिफ) के रूप में उन्होंने 83 गैर-प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ में संशोधन करने (2019-20), पूरे भारत के हवाई अड्डों के लिए एएनएस प्रभारों में संशोधन करने तथा एएआई के स्वामित्व वाले प्रमुख हवाई अड्डों के टैरिफ निर्धारण की जिम्मेदारी वहन की।

- (ग) क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के रूप में उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरसीएस हवाई अड्डों के विकास के लिए माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा दिनांक 22.11.2021 को उन्हें "चेम्पियन ऑफ उड़ान" पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या और 8 आरसीएस हवाई अड्डों सहित उत्तरी क्षेत्र के 35 हवाई अड्डों के अतिरिक्त कुशीनगर, गोरखपुर, देहरादून हवाई अड्डों के विकास का उत्तरदायित्व संभाला।

श्री कामरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हरियाणा एवं पंजाब सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) तथा लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) एवं बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के बोर्ड में बोर्ड सदस्य के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया।

### 3. संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:



ऐरा के स्टाफ में विमानन और वित्त क्षेत्र में अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी/कर्मचारी हैं। वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के आखिर में ऐरा में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव सहित कुल 25 स्टाफ सदस्य थे।

#### 4. विनियम का दायरा

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना 2009 में प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ एवं अन्य प्रभारों को विनियमित करने तथा निष्पादन मानकों को मॉनीटर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत की गई थी। प्राधिकरण ने हवाई अड्डा प्रचालकों एवं कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए 2010-11 में अपने विनियामक सिद्धांत और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया।

4.1 प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- (क) वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना
- (ख) प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- (ग) वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- (घ) सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार क्षेत्र में वृद्धि की गई है, जिसका सार नीचे दिया गया है:

"1. (1) इस अधिनियम को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह उस तारीख को लागू होगा जो केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।

2. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 2 में खंड (i) में "अन्य कोई भी हवाई अड्डा" शब्द के बाद "या हवाई अड्डों का समूह" शब्द सम्मिलित किए जाएंगे।"

2. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित कुल 27 प्रमुख हवाई अड्डे हैं:-

1. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई
3. कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरु
4. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद
5. कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि
6. चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़
7. चेन्नै अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नै
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता



9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद
10. त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम
11. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ
12. जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर
13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी
14. कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझीकोड
15. गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा
16. पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे
17. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना
18. गुरू राम दासजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर
19. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी
20. बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर
21. स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर
22. तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूचिरापल्ली
23. मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु
24. कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर
25. शेख उल अलाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर
26. शिर्डी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिर्डी
27. मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा, गोवा

## 5. प्राधिकरण द्वारा जारी टैरिफ आदेश

वित्त वर्ष 2022-23 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) के दौरान प्राधिकरण ने हवाई अड्डा प्रचालकों, कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए अपने दृष्टिकोण और दिशा-निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित आदेश जारी किए:-

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
<b>हवाई अड्डा टैरिफ आदेश</b>			
1	आदेश संख्या 04/2022-23	गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा (जीओआई) के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	03.06.2022
2	आदेश संख्या 38/2022-23	मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईएक्सई) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में	12.01.2023
3	आदेश संख्या 40/2022-23	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एसवीपीआईए) अहमदाबाद (एएमडी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में	18.01.2023

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
	आदेश संख्या 40/2022-23 का परिशिष्ट	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद (एएमडी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में	03.03.2023
<b>स्वतंत्र सेवा प्रदाता</b>			
<b>(i) फ्यूएल फार्म एवं आईटीपी सेवाएं</b>			
4	आदेश संख्या 03/2022-23	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग डेल्ही प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसडीपीएल) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए इंटो प्लेन सेवाएं (आईटीपी) प्रदान करने के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	25.05.2022
5	आदेश संख्या 05/2022-23	मैसर्स भारत स्टार्स सर्विसेज (डेल्ही) प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएसडीपीएल) के संबंध में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में इंटो प्लेन सेवाओं के लिए तृतीयनियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	03.06.2022
<b>(ii) ग्राउंड हैंडलिंग सेवा</b>			
6	आदेश संख्या 07/2022-23	एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	15.06.2022
7	आदेश संख्या 15/2022-23	एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) द्वारा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	27.07.2022
8	आदेश संख्या 23/2022-23	मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) द्वारा केंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	23.09.2022
9	आदेश संख्या 26/2022-23	मैसर्स बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज (त्रिचि) प्राइवेट लिमिटेड (बीएससीपीएल) द्वारा त्रिचि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (टीआईए), तिरुचिरापल्ली में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण	18.10.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
10	आदेश संख्या 27/2022-23	जीएसईसी बर्ड एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (जीबीएसपीएल) के लिए तिरुवनंतपुरम में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	31.10.2022
11	आदेश संख्या 31/2022-23	एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईसैट्स) के लिए तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	02.12.2022
12	आदेश संख्या 33/2022-23	मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज मुम्बई प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएफएसएमपीएल) द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	29.12.2022
13	आदेश संख्या 34/2022-23	मैसर्स बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बीडब्ल्यूएफएस (आई) द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए), दिल्ली में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	29.12.2022
14	आदेश संख्या 39/2022-23	बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीडब्ल्यूएफएस) के लिए कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	12.01.2023
<b>(iii) कार्गो सेवा</b>			
15	आदेश संख्या 06/2022-23	एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया (ईआईसीआई) के संबंध में आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग प्रभारों के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए टैरिफ का निर्धारण	09.06.2022
16	आदेश संख्या 20/2022-23	मैसर्स मुम्बई कार्गो सर्विस सेन्टर एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एमसीएससीएपीएल) के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीएसएमआईए), मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए कार्गो हैंडलिंग प्रभारों का निर्धारण	30.08.2022
17	आदेश संख्या 32/2022-23	मैसर्स सैलेबी डेल्टा कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीसीटीएम) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	29.12.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
18	आदेश संख्या 37/2022-23	मैसर्स डेल्ही कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ का निर्धारण	06.01.2023
<b>अवधि बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था</b>			
19	आदेश संख्या 01/2022-23	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में प्रदान की जाने वाली कार्गो टर्मिनल प्रचालन (सीटीओ) सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	20.04.2022
20	आदेश संख्या 02/2022-23	मैसर्स इंडो थाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझीकोड में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.06.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	10.05.2022
21	आदेश संख्या 08/2022-23	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 01.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	16.06.2022
	आदेश संख्या 08/2022-23 का परिशिष्ट	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीएसआईए), लखनऊ में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 01.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने संबंधी दिनांक 16.06.2022 के आदेश संख्या 08/2022-23 के मामले में- मौजूदा टैरिफ (31.03.2023 को विद्यमान) को आगे 30.09.2023 तक जारी रखने की अंतरिम व्यवस्था।	29.03.2023
22	आदेश संख्या 09/2022-23	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) और मेट्रो परियोजना कार्य के लिए मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ) लगाना-विकास शुल्क (डीएफ) और मेट्रो विकास शुल्क (एमडीएफ) लगाने की अवधि बढ़ाने के संबंध में	30.06.2022
23	आदेश संख्या 10/2022-23	मैसर्स इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	30.06.2022
24	आदेश संख्या 11/2022-23	मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड द्वारा मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरू में प्रदान की जाने वाली अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	30.06.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
25	आदेश संख्या 12/2022-23	मैसर्स इंडो थाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 11.07.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	05.07.2022
26	आदेश संख्या 13/2022-23	मैसर्स एएआईसीएलएएस द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	05.07.2022
27	आदेश संख्या 14/2022-23	मैसर्स एएआईसीएलएएस द्वारा तिरूचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिची में प्रदान की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	07.07.2022
28	आदेश संख्या 16/2022-23	अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एआईएएल) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली एकीकृत ईंधन स्टोरेज और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए 16.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	01.08.2022
29	आदेश संख्या 17/2022-23	मैसर्स इंडो थाई अमृतसर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री गुरु राम दासजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 22.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	18.08.2022
30	आदेश संख्या 18/2022-23	मैसर्स इंडो थाई पुणे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 22.08.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	18.08.2022
31	आदेश संख्या 19/2022-23	गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल), मोपामें प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 31.03.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ	26.08.2022
32	आदेश संख्या 21/2022-23	मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए 01.09.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	31.08.2022
33	आदेश संख्या 22/2022-23	मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2023 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	20.09.2022
34	आदेश संख्या 24/2022-23	स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा कार्गो हैंडलिंग और ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 17.03.2022 के आदेश संख्या 46/2021-22 के मामले में- मौजूदा टैरिफ (30.09.2022 को विद्यमान) जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	23.09.2022

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
35	आदेश संख्या 25/2022-23	मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड(सीएएसआईपीएल) द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (जीआईए), मोपा, गोवा में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 31.03.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	07.10.2022
36	आदेश संख्या 28/2022-23	जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	14.11.2022
37	आदेश संख्या 29/2022-23	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा, गोवा में प्रदान की जाने वाली फ्यूल फार्म एवं इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	30.11.2022
38	आदेश संख्या 30/2022-23	मैसर्स ऑरिया सिवसुर्केत्व का एयरकैब जीएच सर्विसेज श्रीनगर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	01.12.2022
39	आदेश संख्या 35/2022-23	कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 23.09.2022 के आदेश संख्या 24/2022-23 के मामले में- मौजूदा टैरिफ 31.03.2023 तक बढ़ाना।	30.12.2022
40	आदेश संख्या 36/2022-23	मैसर्स सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अहमदाबाद में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण	05.01.2023
41	आदेश संख्या 41/2022-23	मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2023 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था	22.03.2023
42	आदेश संख्या 42/2022-23	स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाई प्रचालकों द्वारा कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 23.09.2022 के आदेश संख्या 24/2022-23 के मामले में-मौजूदा टैरिफ (31.03.2023 को विद्यमान) को जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	23.03.2023
43	आदेश संख्या 43/2022-23	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुंबई में परियोजना निर्माण कार्य और मेट्रो कार्य के लिए विकास शुल्क (डीएफ) लगाने के मामले के संबंध में	29.03.2023

## 6. निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण

ऐरा के प्रमुख कार्यों में से एक "सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित उन निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना है, जो केंद्र सरकार या इसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।" सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाई अड्डों के लिए सेवा मानक संबंधित रियायत करारों में निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा जारी विमानपत्तन सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) जैसे रेटिंग के कतिपय स्तर को प्राप्त करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन करता है।

प्राधिकरण वर्तमान में हवाई अड्डों पर निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करने के लिए हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा नियुक्त विभिन्न एजेंसियों जैसे एसीआई, स्काई ट्रेक्स आदि द्वारा दी गई रेटिंग पर विश्वास करता है।

## 7. ऐरा में न्यायालयी मामले

रिपोर्ट की अवधि के अंत में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में छत्तीस (36) मामले लंबित हैं जिनमें ऐरा एक पक्षकार है। वर्ष 2022-23 के दौरान नौ (09) नए मामले (माननत्तय टीडीएसएटी 07, माननीय उच्चतम न्यायालय 01, माननीय उच्च न्यायालय 01) दर्ज किए गए और सत्रह (17) मामलों का निपटारा किया गया है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण	मामलों की संख्या
1.	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)	29
2	भारत का उच्चतम न्यायालय	05
3	उच्च न्यायालय, दिल्ली	01
4	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-लेबर कोर्ट	01
	<b>कुल मामले</b>	<b>36</b>

## 8. प्रशासनिक और स्थापना मामले

### (क) लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया गया:

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार प्राधिकरण में 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान ऐरा भवन और इसके आस-पास के क्षेत्रों को साफ कर उसका सौंदर्य बढ़ाया गया; बेकार फर्नीचर, ई-अपशिष्ट और अन्य रद्दी सामान का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया गया। कुल 331 किलो बेकार कागज को पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान के लिए दिया गया। ई-अपशिष्ट के निपटान से 8275/- रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

नागर विमानन मंत्रालय के निदेशों के परिणाम स्वरूप साप्ताहिक विशेष अभियान चलाए गए, जिनमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुरानी फाइलों/दस्तावेजों का पुर्नविलोकन किया और इन्हें इनके स्वच्छ कार्य स्थल तथा दराजों आदि में रखने के लिए छांटकर अलग भी किया गया।

**(ख) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन**

ऐरा में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए गए। हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्राधिकरण में महापुरूषों की जयंती एवं राष्ट्रीय पर्वों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, व्याख्यान और वार्ता आयोजित की गई। साथ ही वृत्तचित्र भी दिखाए गए।

इसके अतिरिक्त दिनांक 14 से 29 सितम्बर, 2022 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, इन प्रतियोगिताओं में 80 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

इसके साथ-साथ राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितम्बर, 2022 को सूरत (गुजरात) में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्राधिकरण के दो (02) कार्मिकों ने भाग लिया, इसी प्रकार अमृतसर (पंजाब) में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भी दो (02) कार्मिकों ने भाग लिया। दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चार (04) हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 128 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान ऐरा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की गईं। प्राधिकरण में भारत सरकार की हिन्दी प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है ताकि अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 08 विजेता प्रतिभागियों को कुल 28,000/- रूपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

**(घ) महिला कल्याण जिसमें जेन्डर बजटीय आंकड़ें भी शामिल है:**

ऐरा में केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लोन पर तैनात और आउट-सोर्स आधार पर सहायक स्टाफ के रूप में कार्यरत 13 महिला कार्मिक हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कार्यालय परिसर में चिकित्सीय आपात-स्थिति होने पर या अचानक आवश्यक सरकारी कार्य होने पर जल्दी घर से लाने/देर हो जाने पर घर छोड़ने के लिए परिवहन/ वाहन की सुविधा; कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के निवारण के संबंध में सामान्य वार्ता का आयोजन; महिलाओं के शौचालयों के लिए समर्पित महिला सफाई-कर्मि आदि।

**(ड.) जन शिकायत निवारण व्यवस्था:**

प्राधिकरण प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।

**(च) प्रदूषण नियंत्रण:**

प्राधिकरण हवाई अड्डों द्वारा पर्यावरण अनुकूल उपाय किए जाने को प्रोत्साहित करता है और टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान इसके लिए उन्हें तदनुसार प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इन उपायों में मोटे तौर पर सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, शोधन संयंत्र के माध्यम से पानी की रिसाइक्लिंग आदि सम्मिलित हैं। 02 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान आयोजित किए गए विशेष अभियान के दौरान प्राधिकरण के विशेष दलों ने हैदराबाद, कोचीन और चैन्नई स्थित कुछ प्रमुख हवाई अड्डों द्वारा पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में की गई पहल तथा उपायों के संबंध में इन हवाई अड्डों का निरीक्षण किया।



**(छ) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:**

प्राधिकरण केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर ही ऐरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती करता है और इस कारण से आरक्षण नीति सीधे तौर पर लागू नहीं है। तथापि ऐरा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के काफी अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं।

**(ज) दिव्यांगों के लिए सुविधाएं:**

ऐरा का भवन एयर इंडिया से (अब एएआईएचएल) किराए पर लिया हुआ है जिसमें दिव्यांगों के प्रवेश के लिए लिफ्ट लगाई गई है जो हर समय चालू रहती है। दिव्यांगों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध की गई है जिनमें रैंप और सर्पोट हैंडल लगे हैं। ऐरा वेबसाइट दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है।

**(झ) प्रमुख उपलब्धियां**

प्राधिकरण ने 01.04.2021 से 31.03.2026 तक की नियंत्रण अवधि के लिए गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जीओआई) (दिनांक 03.06.2022 का आदेश संख्या 04/2022-23), मंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (दिनांक 12.01.2023 का आदेश संख्या 38/2022-23), सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद (दिनांक 18.01.2023 का आदेश संख्या 40/2022-23) स्थित प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ निर्धारित की।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के संबंध में भी टैरिफ निर्धारित की।

प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट की अवधि, अर्थात् 01.04.2022 से 31.03.2023 के दौरान विभिन्न हवाई अड्डा प्रचालकों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए नीचे बताए अनुसार कुल तैतालिस (43) टैरिफ आदेश जारी किए गए:

क्र.सं.	टैरिफ आदेश का प्रकार (अंतरिम टैरिफ आदेश सहित)	आदेश संख्या
1.	हवाई अड्डा प्रचालक	03
2.	कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग और ईंधन	
	• कार्गो	04
	• ग्राउंड हैंडलिंग	09
	• ईंधन	02
3.	अवधि बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था	25
	<b>कुल</b>	<b>43</b>

**9. बजट:**

**(क) निधियन संरचना**

ऐरा सरकारी सहायता - अनुदान के माध्यम से अपने लिए निधियन प्राप्त करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से 19.00 करोड़ रूपए प्राप्त किए। ऐरा अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाता या वसूल नहीं करता।

## 10. विनियामक पक्ष-समर्थन और प्रयोक्ताओं के हित का संरक्षण

प्राधिकरण के पदाधिकारी ऐरा की विनियामक प्रकृति के कार्यों और गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। ऐरा कुछ अन्य भारतीय विनियामक फोरम का भी सदस्य है और अन्य विनियामक प्राधिकरणों की विकासआत्मक गतिविधियों की जानकारी के लिए विनियामक फोरम के कार्यकलापों में नियामित रूप से सम्मिलित होता है।

## 11. क्षमता निर्माण

प्राधिकरण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार(संगोष्ठी)/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और नामित करता है।

## 12. लेखा एवं लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र संलग्न हैं।





# वार्षिक लेखा विवरण 2022-23





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का वित्तीय विवरण

(राशि- रूपए)

कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूंजीगत निधि	1	-2,32,18,216.61	-99,83,044.48
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	16,00,00,000.00	8,00,00,000.00
सुरक्षित ऋण उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	5,01,82,769.00	5,82,84,949.02
<b>कुल</b>		<b>18,69,64,552.39</b>	<b>12,83,01,904.54</b>
<b>परिसंपत्ति</b>			
अचल परिसंपत्ति	8	16,00,00,273.00	8,00,00,156.00
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	-	-
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खाते डाले जाने या समायोजित नहीं किए जाने तक)	11	2,69,64,279.39	4,83,01,748.54
<b>कुल</b>		<b>18,69,64,552.39</b>	<b>12,83,01,904.54</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां	25	-	-

कृते महालवाला एंड कंपनी  
प्रबंधन चार्टर्ड एकाउंटेंट

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के  
की ओर से

सीए फरहात मियान  
(भागीदार)

नाम: कर्नल मनु सूदन

एम. नं. 544904

पदनाम: सचिव

एफ.आर.एन. संख्या: 005823एन

दिनांक:

दिनांक : 26/06/2023

स्थान : नई दिल्ली

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त वर्ष की प्रारम्भियाँ और भुगतान

प्रारम्भियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	(राशि-रूप)
<b>I. अग्र शेष</b>			<b>I. खर्च</b>			
क) नकद शेष			क) स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के अन्तर्गत)	5,02,15,161.00	3,91,40,271.00	
ख) बैंक में जमा राशि (अनुसूची-11)			ख) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 21 के अन्तर्गत)	6,88,03,401.16	7,64,31,708.00	
i) चालू खातों में	25,21,771.54	-3,76,546.00				
ii) जमा खातों में	4,43,38,578.00	1,54,50,167.52	विभ्रंश/कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान			
iii) बचत खातों में						
ii) प्राप्त अनुदान			ii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के बदले किए गए भुगतान (परियोजना के लिए निधि का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)			
क) भारत सरकार से - राजस्व (अनुसूची-13)	11,00,00,000.00	15,71,86,554.00				
ख) भारत सरकार से - पूंजी (अनुसूची-3)	8,00,00,000.00	8,28,13,446.00				
ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)						
(पूँजी और राजस्व खर्च के लिए अनुदान अलग दिखाए जाएँ)						
<b>iii निम्न से निवेशों पर आय</b>			<b>iii किए गए निवेश और जमा</b>			
क) निर्धारित/अक्षय निधियों से			क) निर्धारित/अक्षय निधियों में से			
ख) अपनी निधियों से (अन्य निवेश)			ख) अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)			
<b>iv) प्राप्त व्याज</b>			<b>iv स्थायी परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय</b>			
क) बैंक में जमा राशि पर	7,15,061.00	4,19,439.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	45,80,975.00	28,13,446.00	
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय	8,00,00,000.00	8,00,00,000.00	
<b>v) अन्य आय (अनुसूची-18)</b>			ग) निधि के अन्य प्रदाता			
		62,687.00	<b>V अधिशेष धन/ऋण की वापसी</b>			
			क) भारत सरकार को			
			ख) राज्य सरकार को			
			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को			
			<b>vi वित्त प्रभार</b>			
<b>vi) उधार ली गई राशि</b>			<b>vii अन्य भुगतान (उल्लेख करें)</b>			
			क) शुल्क और कर	1,11,59,054.00	1,14,92,301.00	
			ख) वापस की गई सुरक्षा जमा राशि		6,00,000.00	
<b>vii) कोई अन्य प्रारम्भियाँ</b>			<b>viii) अंत शेष</b>			
ईएमडी	6,00,000.00		क) नकद शेष			
सुरक्षा जमा	3,60,000.00		ग) बैंक में जमा राशि (अनुसूची-11)			
अन्य प्रारम्भियाँ	15,86,668.01		i) चालू खातों में	24,87,613.39	25,21,771.54	
			ii) जमा खातों में	2,28,75,874.00	4,43,38,578.00	
			iii) बचत खातों में			
<b>कुल</b>	<b>24,01,22,078.55</b>	<b>25,73,38,075.54</b>	<b>कुल</b>	<b>24,01,22,078.55</b>	<b>25,73,38,075.54</b>	

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से  
 नाम: कर्नल मनु सूदन  
 पदनाम: सचिव  
 दिनांक

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि- रूपए)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>आय</b>			
विक्रय/सेवाओं से आय	12		-
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	10,54,19,142.00	15,71,86,554.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
(निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय/निधि में अंतरित)		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	-	4,23,877.00
अन्य आय	18	1,03,83,375.00	62,687.00
परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		-
<b>कुल (क)</b>		<b>11,58,02,517.00</b>	<b>15,76,73,118.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना खर्च	20	5,71,77,665.00	4,66,63,073.00
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	21	7,18,60,024.13	10,35,64,695.00
मूल्यहास	8	-	-
अनुदान और आर्थिक सहायता पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>12,90,37,689.13</b>	<b>15,02,27,768.00</b>
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)		-1,32,35,172.13	74,45,350.00
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)			-
सामान्य आरक्षित से/में अंतरण			-
कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाए गए अधिशेष के रूप में शेष/(घाटा)		-1,32,35,172.13	74,45,350.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां	25		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नाम: कर्नल मनु सूदन

पदनाम: सचिव

दिनांक:

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूंजीगत निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		-99,83,044.48	-1,74,28,394.48
जोड़ें : कॉर्पस/पूंजीगत निधि में अंशदान		-	-
जोड़ें/घटाएं : आय और व्यय लेखे से अंतरित निवल आय/ (व्यय) की शेष राशि		-1,32,35,172.13	74,45,350.00
<b>वर्ष के अंत में शेष राशि</b>		<b>-2,32,18,216.61</b>	<b>-99,83,044.48</b>

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>1. आरक्षित पूंजी</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>2. पुनर्मूल्यांकन की गई आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>3. विशेष आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>4. सामान्य आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
<b>कुल</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



(राशि- रूपए)

अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का अथशेष		8,00,00,000.00	-
(ख) निधियों में परिवर्धन		8,00,00,000.00	-
(i) दान/अनुदान		-	8,00,00,000.00
(ii) निधियों के निवशों से आय		-	-
(iii) अन्य परिवर्धन		-	-
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>16,00,00,000.00</b>	<b>8,00,00,000.00</b>
(ग) निधियों का उपयोग			
(i) पूंजीगत व्यय			-
- अचल परिसंपत्तियां			-
- अन्य			-
<b>कुल</b>			
(ii) राजस्व व्यय			-
- वेतन, मजूदरी और भत्ते आदि		-	-
- किराया		-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय		-	-
<b>कुल</b>			-
<b>कुल (ग)</b>			-
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)</b>		<b>16,00,00,000.00</b>	<b>8,00,00,000.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)			
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज		-	-
<b>4. बैंक :</b>			
क) आवधिक ऋण उपार्जित और देय ब्याज		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) उपार्जित और देय ब्याज		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5 :- असुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
<b>4. बैंक :</b>			
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
7. सावधि जमा		-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6 :- आस्थगित ऋण देनदारियां	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		-	-
ख) अन्य		-	-
<b>कुल</b>		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 7 :- मौजूदा देयताएं और प्रावधान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा देयताएं			
1. स्वीकृतियां			-
2. विविध लेनदार:			
क) माल के लिए			-
ख) अन्य	1		-
3. प्राप्त अग्रिम			-
4. निम्नलिखित पर ब्याज, उपार्जित परंतु देय नहीं:			
क) सुरक्षित ऋण/उधार			-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार			-
5. सांविधिक देयताएं:			
क) अति देय			-
ख) अन्य	2	8,24,047.00	1,61,032.00
6. अन्य मौजूदा देयताएं	3	13,94,873.00	22,43,709.02
7. आस्थगित अनुदान आय (देखें: पाद टिप्पणी)		252.00	135.00
<b>कुल (क)</b>		<b>22,19,172.00</b>	<b>24,04,876.02</b>
(ख) प्रावधान			
1. कराधान के लिए			-
2. उपदान			-
3. अधिवर्षिता/पेंशन			-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण			-
5. व्यापार वारंटी/दावे			-
6. अन्य	4	4,79,63,597.00	5,58,80,073.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>4,79,63,597.00</b>	<b>5,58,80,073.00</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>5,01,82,769.00</b>	<b>5,82,84,949.02</b>

पाद टिप्पणी

वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	135.00	29.00
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	45,80,975.00	28,13,552.00
वर्ष के दौरान परिशोधित और स्थायी परिसंपत्तियों के साथ मिलाया गया अनुदान	45,80,858.00	28,13,446.00
वर्ष के अंत में अंतशेष	<b>252.00</b>	<b>135.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-8

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागता/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन कटौती	वर्ष के अंत में लागता/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
<b>क. स्थायी परिसंपत्ति</b>								
1. भूमि								
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2) भवन</b>								
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/ परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) संस्था से असंबद्ध भूमि पर अधिचानाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फनीचर, फिक्सचर	7.00	1.00	8.00	-	-	-	8.00	7.00
6. कार्यालय उपस्कर	56.00	14.00	70.00	-	-	-	70.00	56.00
7. कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	65.00	99.00	164.00	-	-	-	164.00	65.00
8 इलेक्ट्रिक संस्थान	26.00	3.00	29.00	-	-	-	29.00	26.00
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-
10. टयूबवेल और पानी की आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>चालू वर्ष का कुल -क</b>	<b>156.00</b>	<b>117.00</b>	<b>273.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273.00</b>	<b>156.00</b>
<b>पिछले वर्ष</b>	<b>50.00</b>	<b>1069.00</b>	<b>156.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.00</b>	<b>50.00</b>
<b>ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर</b>	8,00,00,000.00	8,00,00,000.00	16,00,00,000.00	-	-	-	16,00,00,000.00	-
<b>चालू वर्ष का कुल -ख-</b>	<b>8,00,00,000.00</b>	<b>8,00,00,000.00</b>	<b>16,00,00,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,00,00,000.00</b>	<b>-</b>
<b>पिछले वर्ष</b>	<b>-</b>	<b>8,00,00,000.00</b>	<b>8,00,00,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00,00,000.00</b>	<b>-</b>
<b>चालू वर्ष का कुल -ग- (क+ख)</b>	<b>8,00,00,156.00</b>	<b>16,00,00,117.00</b>	<b>16,00,00,273.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,00,00,273.00</b>	<b>156.00</b>
<b>पिछले वर्ष</b>	<b>50.00</b>	<b>8,00,00,106.00</b>	<b>8,00,00,156.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00,00,156.00</b>	<b>50.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 9 :- निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

अनुसूची 10 : निवेश - अन्य निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 11 : मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>(क) मौजूदा परिसंपत्तियां</b>			
1. वस्तु सूची (इन्वेंट्री):			
क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे		-	-
ख) खुले औजार		-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड			
<b>परिष्कृत माल</b>			
परिष्कृत किया जा रहा माल		-	-
कच्चा माल		-	-
2. विविध देनदार			
क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण		-	-
ख) अन्य		-	-
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		-	-
4. बैंक में जमा राशि:			
क) अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		24,87,613.39	25,21,771.54
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल हैं)		2,28,75,874.00	4,43,38,578.00
बचत खातों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		-	-
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल हैं)		-	-
बचत खातों में		-	-
5. डाकघर बचत खाते		-	-
<b>कुल (क)</b>		<b>2,53,63,487.39</b>	<b>4,68,60,349.54</b>

	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां			
<b>1. ऋण :</b>			
क) स्टाफ		-	-
ख) संस्था की समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)			
<b>2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां</b>		-	-
क) पूंजी खातों पर (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)		-	-
ख) पूर्व अदायगी		-	17,724.00
ग) अन्य	5	14,80,542.00	14,19,237.00
<b>3. उपार्जित आय :</b>			
क) निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर		-	-
ख) निवेश पर - अन्य		-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर		-	-
घ) अन्य		36,959.00	4,438.00
<b>4. वसूली योग्य दावा:</b>		-	-
क) ब्याज पर वसूली योग्य टीडीएस		83,291.00	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>16,00,792.00</b>	<b>14,41,399.00</b>
<b>कुल (क+ख)</b>		<b>2,69,64,279.39</b>	<b>4,83,01,748.54</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे की अनुसूचियां

(राशि-रूपए)

अनुसूची 12 :- बिक्री/सेवाओं से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री		-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री		-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री		-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार		-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं		-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली		-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		-	-
ड) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

अनुसूची 13 :- अनुदान/आर्थिक सहायता	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)			
1) केन्द्रीय सरकार (देखें: पाद-टिप्पणी)		10,54,19,142.00	15,71,86,554.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)		-	-
3) सरकारी एजेंसियां		-	-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		-	-
6) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		<b>10,54,19,142.00</b>	<b>15,71,86,554.00</b>

पाद टिप्पणी

केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और आर्थिक सहायता वर्ष के दौरान खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियां निवल अनुदान

11,06,00,000.00  
45,80,858.00  
10,54,19,142.00

16,00,00,000.00  
28,13,446.00  
15,71,86,554.00

अनुसूची 14 :- शुल्क/अभिदान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क		-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान		-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-	-
4) जी.पी.एफ. अंशदान		-	-
5) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2022 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची – 15 निवेशों से आय (निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-
<b>कुल</b>	-	-	-	-

निर्धारित/अक्षय निधियों में अंतरित

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय		-	-
2) प्रकाशनों से आय		-	-
3) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

(राशि- रूपए)

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा राशियों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		-	4,23,877.00
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थाओं में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खाता		-	-
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदार पर ब्याज और प्राप्त करने योग्य अन्य राशियां		-	-
<b>कुल</b>		-	<b>4,23,877.00</b>

अनुसूची 18 : अन्य आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:			
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		-	-
ख) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त परिसंपत्तियां		-	-
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन		-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	6	20.00	30.00
4. विविध आय	7	8,395.00	62,657.00
5. अवधि से पहले की आय		45,000.00	-
6. अतिरिक्त राशि के लिए किया गया प्रावधान हटा दिया गया		1,03,29,960.00	-
<b>कुल</b>		<b>1,03,83,375.00</b>	<b>62,687.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

अनुसूची 19 : परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक			
- परिष्कृत माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
ख) घटाएं – आरंभिक स्टॉक		-	-
- परिष्कृत माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
<b>निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)</b>		-	-

अनुसूची 20 : स्थापना खर्च	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	8	5,71,77,665.00	4,66,63,073.00
ख) भत्ते और बोनस		-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान		-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)		-	-
ड.) स्टाफ कल्याण खर्च		-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर खर्च			
छ) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		<b>5,71,77,665.00</b>	<b>4,66,63,073.00</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. खरीद		-	-
ख. श्रम और प्रसंस्करण खर्च		-	-
ग. दुलाई और माल भाड़ा		-	-
घ. बिजली और ऊर्जा		19,71,872.00	14,41,901.00
ड. पानी प्रभार		-	-
च. बीमा		-	-
छ. मरम्मत और अनुरक्षण		2,96,101.00	22,29,778.00
ज. उत्पाद शुल्क		-	-
झ. किराया, दर और कर		1,05,21,364.00	1,05,21,364.00
ञ. वाहन को चालू हालत में रखने और अनुरक्षण संबंधी खर्च		-	-
ट. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		2,13,503.00	3,15,329.00
ठ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री		4,36,493.00	3,38,636.00
ड. यात्रा और वाहन खर्च		8,86,262.00	4,66,479.00
ढ. संगोष्ठी/कार्यशाला पर खर्च		-	-
ण. अभिदान खर्च		1,00,000.00	1,00,000.00
त. शुल्क पर खर्च		-	-
थ. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक		4,91,300.00	3,00,000.00
द. आतिथ्य खर्च		95,852.00	99,295.00
ध. व्यावसायिक प्रभार		1,39,37,994.00	1,91,91,681.00
न. अशोध्य और संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		-	-
प. बट्टे खाते में डाली गई वसूल न किए जाने योग्य शेष राशि		-	-
फ. माल भाड़ा और अग्रेषण खर्च		-	-
ब. वितरण खर्च		-	-
भ. विज्ञापन और प्रचार		4,12,273.00	3,68,105.00
वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार		53,23,078.00	11,38,189.00
मैनपावर भाड़े पर लेने संबंधी खर्च		2,95,26,108.00	6,59,05,344.00
अन्य	9	76,47,824.13	11,48,594.00
<b>कुल</b>		<b>7,18,60,024.13</b>	<b>10,35,64,695.00</b>

पाद टिप्पणी :  
पूर्व अवधि मद

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मैनपावर भाड़े पर लेने संबंधी खर्च		-	2,04,30,396.00
वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार		-	1,28,810.89
यात्रा एवं सवारी खर्च		-	71,116.00
डाक -व्यय : दूरभाष एवं संचार प्रभार		-	17,075.00
वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार		-	9,219.38
वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 के लिए मंत्रालय को अदा किया गया ब्याज		5,07,837.00	
अन्य		99,214.00	21,210.00
		<b>6,07,051.00</b>	<b>2,06,77,827.27</b>

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण  
31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे  
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 22 : अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		-	-
<b>कुल</b>		-	-

अनुसूची 23 : ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
<b>कुल</b>		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण  
तुलन पत्र के संलग्नक

(राशि रूपए)

संलग्नक : 1 विविध लेनदार	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
	-	-
	-	-
	-	-
<b>कुल</b>	-	-
		(राशि रूपए)
संलग्नक : 2 सांविधिक देयताएं	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
टीसीएस	-	-
सीजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	19,263.00	67,341.00
आईजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 2%	75,554.00	26,350.00
एसजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	19,263.00	67,341.00
टीडीएस 192ए	2,30,676.00	-
टीडीएस 194सी	25,098.00	-
टीडीएस 194आई	74,303.00	-
टीडीएस 194 जे	3,79,890.00	-
<b>कुल</b>	<b>8,24,047.00</b>	<b>1,61,032.00</b>
संलग्नक : 3 अन्य चालू देयताएं	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
सुरक्षा जमा	7,07,790.00	4,53,751.00
वित्त एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली	-	17,82,328.02
प्रस्तुत न किए गए चेक	2,630.00	2,630.00
कॉपीयर मॉटेनेंस कॉर्पोरेशन (ईएमडी)	5,000.00	5,000.00
<u>भारतीय प्रबंधन संस्थान</u>	1,05,961.00	-
<u>मंत्रालय को देय ब्याज</u>	5,73,492.00	-
<b>कुल</b>	<b>13,94,873.00</b>	<b>22,43,709.02</b>
संलग्नक : 4 प्रावधान (अन्य)	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
पेंशन एवं वेतन प्रावधान	20,00,000.00	18,00,000.00
व्यावसायिक शुल्क प्रावधान	6,00,236.00	6,90,432.00
एएमसी के लिए प्रावधान	70,695.00	4,71,403.00
एएआई वाहन का प्रावधान	-	23,93,000.00
लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	7,91,300.00	9,00,000.00
वाहन भाड़े पर लेने का प्रावधान	94,498.00	61,979.00
माली भाड़े पर लेने का प्रावधान	2,000.00	2,000.00
गृह प्रबंधन खर्च के लिए प्रावधान	68,044.00	1,29,723.00
बाहरी स्रोत से कार्मिक लेने के लिए प्रावधान	3,21,30,983.00	4,06,53,192.00
संपत्ति कर ऐरा	-	-
बिजली एवं पावर के लिए प्रावधान	11,66,578.00	2,01,386.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण प्रभागों के लिए प्रावधान	58,21,869.00	41,58,869.00
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	2,44,922.00	2,36,629.00
वेतन खर्च के लिए प्रावधान	47,29,472.00	38,03,460.00
सीईए के लिए प्रावधान	2,43,000.00	3,78,000.00
<b>कुल</b>	<b>4,79,63,597.00</b>	<b>5,58,80,073.00</b>

(राशि रूपए)

संलग्नक : 5 अग्रिम और नकद या अन्य प्रकार से वसूली योग्य अन्य राशियां	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	7,55,671.00	7,55,671.00
अग्रिम भुगतान	62,487.00	1,182.00
श्री बी एस भुल्लर	-	-
कर्मचारियों के लिए त्यौहार अग्रिम	-	-
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	5,41,645.00	5,41,645.00
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	1,20,739.00	1,20,739.00
स्रोत पर काटा गया कर (आईसीआईसीआई से वसूली योग्य)	-	-
<b>कुल</b>	<b>14,80,542.00</b>	<b>14,19,237.00</b>

(राशि रूपए)

संलग्नक : 6 विविध सेवाओं के लिए शुल्क	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
पोस्टल ऑर्डर/ आरटीआई शुल्क	20.00	30.00
<b>कुल</b>	<b>20.00</b>	<b>30.00</b>

(राशि रूपए)

संलग्नक : 7 विविध आय	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
पुराने फर्नीचर और रद्दी माल की बिक्री	8,275.00	15,550.00
अन्य प्राप्तियां	120.00	34,337.00
लैपटाप की बिक्री	-	12,770.00
<b>कुल</b>	<b>8,395.00</b>	<b>62,657.00</b>

(राशि रूपए)

संलग्नक : 8 वेतन और पारिश्रमिक	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
वेतन खर्च	4,97,67,855.00	3,92,58,568.00
एनपीएस के लिए कर्मचारियों का अंशदान	35,08,068.00	21,50,861.00
पेंशन और छुट्टी वेतन	9,91,601.00	17,57,098.00
चिकित्सा खर्च	4,69,779.00	5,40,554.00
छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) प्रभार	-	-
सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	8,25,915.00	6,19,852.00
ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	2,19,821.00	36,270.00
बकाया वेतन	42,993.00	-
परिवहन भत्ता	22,142.00	11,873.00
बकाया महंगाई भत्ता	5,36,422.00	1,82,443.00
मकान किराया भत्ता	-	86,339.00
मानदेय	1,87,000.00	1,05,000.00
बोनस	1,45,068.00	82,896.00
नियोक्ता का पेंशन का अंशदान	2,43,273.00	2,19,757.00
छुट्टी नकदी	1,05,800.00	16,11,562.00
प्रतिनियुक्ति भत्ते का बकाया	1,080.00	-
जीएसआईएल बने फंड एमसी	1,250.00	-
राशन भत्ता	1,14,598.00	-
<b>कुल</b>	<b>5,71,77,665.00</b>	<b>4,66,63,073.00</b>



(राशि रूपए)

संलग्नक : 9 अन्य प्रशासन खर्च	चालू वर्ष (22-23)	पिछला वर्ष (21-22)
वाहन भाड़े पर लेने के लिए संविदा	10,08,085.00	8,86,677.00
यात्रा खर्च	-	3,54,884.00
इंटरनेट और डेटा प्रभार	80,403.00	1,09,671.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	1,32,786.00	72,904.00
कार्यालय खर्च	27,04,111.00	10,69,195.00
पेंटी खर्च	54,855.00	79,431.00
टीए/डीए की प्रतिपूर्ति	7,10,719.00	-
ऐरा भवन का संपत्ति कर	-	-15,00,000.00
दर एवं कर	-	57,601.00
संसदीय राजभाषा समिति	-	-5,369.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम	12,38,704.16	23,600.00
जलपान खर्च	2,32,056.00	-
बैंक प्रभार	57.97	-
स्वच्छता सुविधाएं	8,371.00	-
एलटीसी अग्रिम	81,922.00	-
स्थानांतरण अनुदान की प्रतिपूर्ति	6,09,208.00	-
पूर्व अवधि मद	6,07,051.00	-
टेलिफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति	1,79,495.00	-
<b>कुल</b>	<b>76,47,824.13</b>	<b>11,48,594.00</b>

## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

### अनुसूची -24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 1. लेखांकन परंपरा

जब तक कि अन्यथा न बताया जाए और लेखांकन की पद्धति में न कहा जाए, वित्तीय विवरण पुरानी लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

#### 2. वस्तु सूची मूल्यांकन

2.1 सामान और अतिरिक्त पुर्जों (मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जों सहित) का लागत पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध परिष्कृत माल और परिष्कृत माल का कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। लागतें परिष्कृत माल और अर्द्ध परिष्कृत माल की भारत औसत लागत पर आधारित होती हैं और इनका निर्धारण सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्च को ध्यान में रखकर किया जाता है।

#### 3. निवेश

3.1 “दीर्घावधिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न कमी का प्रावधान, ऐसे निवेशों की लागत को शामिल कर किया जाता है।

3.2 “चालू” के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य संबंधी कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप में किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टांप जैसे अधिग्रहण के खर्च शामिल हैं।

#### 4. उत्पाद शुल्क लागू नहीं

#### 5. स्थायी परिसंपत्तियां

5.1 स्थायी परिसंपत्तियां सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी जाती हैं। लेखांकन मानक 12 के अनुसार, ऐसे अनुदानों को पूंजीगत अनुदान समझा जाता है। परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के समय इनका अंकित मूल्य निकालकर परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में से अनुदानों को घटाया जाता है। जब अनुदान परिसंपत्ति की लागत के बराबर होता है तब परिसंपत्ति को 1 रूपए के नाममात्र के मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्ति को (कॉर्पस निधि से भिन्न) आरक्षित पूंजी के लिए तदनुसूची क्रेडिट द्वारा निर्धारित मूल्य पर पूंजी में परिणत किया जाता है।

#### 6. मूल्यहास

6.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता।

6.2 आयकर अधिनियम की दरों के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित किया जाता है और तदनुसूची अनुदान को आरक्षित पूंजी से होने वाली आय और व्यय के खाते में भी डाला जाता है। 5,000/- रूपए या इससे कम की लागत वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

## 7. विविध खर्च

आस्थगित राजस्व व्यय को इसे वहन किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

## 8. बिक्री के लिए लेखांकन लागू नहीं

## 9. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

- 9.1 परियोजना स्थापन की पूंजीगत लागत के लिए योगदान स्वरूप वाले सरकारी अनुदानों को आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है।
- 9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्ति संबंधी अनुदानों को संबंधित परिसंपत्ति की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।
- 9.3 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।
- 9.4 चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के लिए अनुसूची संख्या 13 देखें। इसके अलावा, चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई गैर- आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

## 10. विदेशी मुद्रा लेन देन

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा के लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किए जाते हैं।
- 10.2 वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। परिणामी लाभ/हानि को स्थायी परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामले में राजस्व के लिए मानी जाती है।

## 11. पट्टा (लीज़)

1,05,21,364.00 रूपए (पिछले वर्ष 1,05,21,364 रूपए) के लीज़ भुगतान चालू वर्ष के आय और व्यय लेखा में प्राप्त किए गए।

## 12. सेवानिवृत्ति लाभ

- 12.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) स्टाफ की नियुक्ति “भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक कर्मचारी (पदों की संख्या एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011” के अनुसार केन्द्र सरकार/ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कर्मिकों में से विशुद्ध रूप से प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा आधार पर करता है। ऐरा अपने कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कारण से ऐरा की बहियों में ऐसे लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 12.2 कर्मचारियों के लिए संचित छुट्टी के नगदीकरण के लाभ की व्यवस्था की जाती है और इसका परिकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के आधार पर किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन  
पदनाम: सचिव

## भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

### 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

#### अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

ऋण के रूप में कंपनी के विरुद्ध दावे/विवादित मांगें प्राप्त नहीं हुईं:

एएआई के लिए वेतन की प्रतिपूर्ति

शून्य (पिछले वर्ष के रूपए शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली में डीजीसीए, बीसीएस, एएआईबी और ऐरा के संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धता के कारण ऐरा की हिस्सेदारी 13.43 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 10.38 करोड़ रूपए) है।

ऐरा को वर्ष के दौरान 29.43 करोड़ रूपए का अधिदेश प्राप्त हुआ है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को चालू वर्ष के दौरान 8 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 8 करोड़ रूपए) का भुगतान कर दिया गया है।

3. लीज दायित्व :

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज व्यवस्थाओं के अंतर्गत किराए के लिए भावी दायित्वों की राशि शून्य रूपए है।

4. वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह तुलन पत्र में दर्शाई गई कम से कम करार की गई राशि के बराबर होता है।

5. कराधान:

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

चालू वर्ष

पिछला वर्ष

6.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित

शून्य

शून्य

आयातों का मूल्य

- परिष्कृत माल की खरीद

- कच्चा माल और उपस्कर

- पूंजीगत माल

- स्टोर, अतिरिक्त पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क) यात्रा	शून्य	शून्य
ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
- बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
- विधिक और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
- विविध खर्च	शून्य	शून्य
- प्रशिक्षण खर्च	रूपे 12,10,704.16 (रूपयों)	

6.3 आय:

एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
---------------------------	-------	-------

6.4 सीएंडएजी लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षक के लिए	4,91,300.00	3,00,000.00
- कराधान मामले		
- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
- प्रमाणीकरण के लिए		
अन्य	शून्य	शून्य

7. पिछले वर्ष के तदनुरूपी (Corresponding) आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुनः समूह बनाया गया/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
8. वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्षों में किए गए 1,03,29,960/- रूपए के अतिरिक्त प्रावधान खाता बहियों से हटा दिए गए।
9. 1 से 25 तक की अनुसूचियां दिनांक 31.3.2023 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के खाते के अभिन्न भाग के रूप में संलग्न है।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: कर्नल मनु सूदन  
पदनाम: सचिव

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

\*\*\*\*\*

1. हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा), नई दिल्ली के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के प्रबंधक वर्ग की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकट करने के मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य और नियमितता) और कार्यकुशलता तथा कार्य निष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का कार्यक्रम बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि इन वित्तीय विवरणों में कोई तात्त्विक गलतबयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों के सर्मथन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में उन्हें दर्शाया जाना शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण करना और प्रबंधक वर्ग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार दिया गया है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:
  - (i) हमने सभी प्रकार की ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - (ii) इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।
  - (iii) हमारी राय में ऐसी लेखा बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(1) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) द्वारा उचित लेखा बहियों और अन्य संबद्ध रिकॉर्डों का रखरखाव किया गया है।
  - (iv) हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि:

## लेखांकन पर टिप्पणियां

### क) तुलन पत्र देयताएं

#### (क) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -7) - 501.83 लाख रूपए

उपर्युक्त में ऐरा में कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कर्मचारियों के वेतन के लिए मई, 2009 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए 9.56 करोड़ रूपए का प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को काम पर लेने के संबंध में हुए 9.56 करोड़ रूपए के व्यय और प्रावधानों को विवरण में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी यही टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधक वर्ग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधान और अन्य प्रशासनिक व्यय को 9.56 करोड़ रुपये तक कम बताया गया है।

#### (ख) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -7) – 501.83 लाख रूपए

ऐरा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कार्य के अनुपात/प्रतिशतता में परामर्श खर्च के लिए 17.23 लाख रुपये की राशि का प्रावधान नहीं किया है। अतः प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप 'वर्तमान देनदारियां और प्रावधान' तथा अन्य प्रशासनिक खर्च विवरण 17.23 लाख रुपये कम बताए गए हैं।

### ख) सहायता अनुदान :

वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) को नागर विमानन मंत्रालय से कुल 1,900 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1 अप्रैल, 2022 को अनुदान की अप्रयुक्त 428.27 लाख रूपए की राशि और अप्रयुक्त अनुदान पर अर्जित 8.33 लाख रूपए की ब्याज की राशि शेष थी। इस 2,336.60 करोड़ रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा 2022-23 के दौरान 31.03.2023 तक केवल 2,115.52 करोड़ रूपए ही खर्च कर सका और 221.07 लाख रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।

- (v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के लिए देखे गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, खाता बहियों के अनुसार हैं।
- (vi) हमारे विचार से तथा हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण तथा ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मुद्दों के अधीन भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा ये सही एवं स्पष्ट स्थिति को दर्शाते हैं।
- i) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति का तुलन पत्र 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति से संबंधित है; और
- ii) यह उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और  
उनकी ओर से

ह/-

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 30 अक्टूबर, 2023

( राजीव कुमार पांडे )  
लेखापरीक्षा महानिदेशक (अवसंरचना)  
नई दिल्ली



## संलग्नक

### (वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक)

- 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**  
2022-23 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।
- 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**  
लेखापरीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है:  
(i) पुराने अग्रिम/वसूली योग्य अन्य राशि का तीन वर्ष से भी अधिक समय से समायोजन नहीं किया गया था।
- 3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**  
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।
- 4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**  
कोई वस्तु सूची नहीं है।
- 5. देय सांविधिक राशि की नियमित अदायगी**  
देय सांविधिक राशि समय पर अदा की गई थीं।

बिंदु	लेखाओं पर टिप्पणी	जवाब
<p><b>A. तुलन पत्र</b> <b>1. देयताएं</b></p>	<p><b>(क) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7) - 501.83 लाख रूपए</b></p> <p>डीजीसीए, बीसीएएस, एएआईबी और ऐरा के लिए 303.80 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से सफदरजंग हवाईअड्डे पर संयुक्त प्रचालन कार्यालयों के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), विमानपत्तन दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) के बीच 24.11.2016 को हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लेखा परीक्षा को प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार इस प्रचालन कार्यालय में ऐरा का हिस्सा 18.38 करोड़ रूपए है।</p> <p>समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार सभी हितधारकों को काम की प्रगति के अनुरूप एएआई के पास धनराशि जमा करानी है। ऐरा को 31.03.2023 तक कुल 26.208 करोड़ रूपए (29.12 करोड़ रूपए का 90 प्रतिशत) जमा कराने की प्रतिबद्धता है और ऐरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 16.00 करोड़ रूपए अदा कर दिए गए हैं। ऐरा को 10.208 करोड़ रूपए (26.208 करोड़ रूपए -16.00 करोड़ रूपए) की शेष राशि एएआई को अदा करनी है। इस प्रकार देयता को दर्ज न किए जाने के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी का विवरण पूर्ण नहीं है और चालू देयता 10.208 करोड़ रूपए है।</p>	<p>इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि डीजीसीए, बीसीएएस, ऐरा और एएआईबी के लिए 24.11.2016 को इन सभी हितधारकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत जमा धन से कार्य के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सफदरजंग हवाईअड्डे पर संयुक्त प्रचालन कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। हितधारक होने के कारण ऐरा को निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार एएआई को किस्तों में 18.38 करोड़ रूपए जमा कराने है। इसमें से 16.00 करोड़ रूपए 31.03.2023 तक पहले ही एएआई को जारी किए जा चुके हैं।</p> <p>इसके अतिरिक्त नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 15.05.2023 के अपने पत्र संख्या ए- 60015/269/2015-डीजी द्वारा 374.99 करोड़ रूपए की संशोधित अनुमानित लागत की सूचना दी है।</p> <p>नागर विमानन मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र के अनुसार संयुक्त प्रचालन कार्यालय के निर्माण में अब ऐरा का कुल हिस्सा 18.38 करोड़ रूपए से बढ़कर 29.43 करोड़ रूपए हो गया है जिसमें से 16.00 करोड़ रूपए की राशि पिछले वित्त वर्षों में पहले ही जारी कर दी गई है। तदनुसार संयुक्त प्रचालन कार्यालय के निर्माण की लागत संबंधी 13.43 करोड़ रूपए (29.43 करोड़ रूपए -16.00 करोड़ रूपए) की राशि ही एएआई को अदा की जानी है।</p> <p>चूंकि शेष धनराशि के संबंध में अनुमान /सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए हमने लेखांकन मानदंडों की अपेक्षानुसार लेखा संबंधी टिप्पणियों के माध्यम से पूंजीगत प्रतिबद्धता के रूप में शेष भाग अर्थात 13.43 करोड़ रूपए बताए हैं।</p>

		<p>लेखा परीक्षा की यह टिप्पणी भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है।</p>
	<p><b>(ख) चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची 7) - 501.83 लाख रूपए</b> उपर्युक्त में ऐरा में 25 सितम्बर, 2009 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए तैनात एएआई के कार्मिकों के वेतन के रूप में 9.56 करोड़ रूपए का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप भाड़े पर लिए गए कार्मिकों पर हुए 9.56 करोड़ रूपए के प्रावधान और व्यय को विवरण में शामिल नहीं किया गया। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी यही टिप्पणी की गई थी, परंतु प्रबंधक वर्ग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।</p> <p>परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधान तथा 9.56 करोड़ रूपए तक के अन्य प्रशासनिक व्यय को विवरण में शामिल नहीं किया गया।</p>	<p>इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि ऐरा में लोन आधार पर तैनात कार्मिकों के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान वित्त वर्ष 2015-16 से एएआई से प्राप्त मांग के अनुसार और नागर विमानन मंत्रालय के निदेशों के अनुसार किया जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा यह अनुदेश दिया था कि 2015 से पहले की पिछली किसी भी देय राशि की प्रतिपूर्ति नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।</p> <p>ऐरा को 01 अप्रैल, 2015 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि के संबंध में एएआई से 10.32 करोड़ रूपए का मांग पत्र प्राप्त हुआ था जिसके लिए चालू तथा पिछले विभिन्न वर्षों में 7.12 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।</p> <p>वर्ष के अंत में 3.21 करोड़ रूपए का प्रावधान उपर्युक्त अवधि के लिए एएआई द्वारा की गई मांग और भुगतान के अनुरूप है।</p> <p>उपर्युक्त को देखते हुए लेखा बहियों में प्रावधान वित्त वर्ष 2015-16 से एएआई द्वारा की गई अनंतिम मांगों के आधार पर किया गया है और ऐरा द्वारा इन मांगों के अनुसार भुगतान जारी किए गए हैं।</p>
	<p><b>(ग) चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची7) – रूपए 501.83 लाख</b> ऐरा ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कार्य के अनुपात/ प्रतिशतता में परामर्श खर्च के लिए 17.23 लाख रूपए की राशि का प्रावधान नहीं किया है और यह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान के लिए देय थी।</p> <p>इस प्रकार प्रावधान दर्ज न किए जाने के स्वरूप 'चालू देयताएं और प्रावधान' और 17.23 लाख रूपए तक के अन्य प्रशासनिक खर्च को विवरण में शामिल नहीं किया गया।</p>	<p>ऐरा यह प्रावधान नहीं कर सकता था क्योंकि यह भुगतान लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर जारी करना होता है। ऐरा यदि वहन किया हो तो इस व्यय को वित्त वर्ष 2023-24 में पूर्व अवधि के व्यय के रूप में दर्ज करेगा।</p> <p>यह टिप्पणी भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है।</p>


<p><b>ख</b> <b>सहायता</b> <b>अनुदान</b></p>	<p>वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) को नागर विमानन मंत्रालय से 1900.00 लाख रूपए का कुल अनुदान प्राप्त हुआ। 01 अप्रैल, 2022 को इसके पास 428.27 लाख रूपए की अनुदान की खर्च न की गई शेष राशि और खर्च न किए गए अनुदान पर अर्जित 8.33 लाख रूपए का ब्याज था। 2336.60 लाख रूपए के इस कुल अनुदान में से ऐरा 2022-23 के दौरान केवल 2115.52 लाख रूपए का ही उपयोग कर सका। 31.03.2023 को खर्च न की गई शेष राशि 221.07 लाख रूपए है (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार)।</p>	<p>इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उपलब्ध 2336.60 लाख रूपए के कुल अनुदान में से खर्च न की गई 221.07 लाख रूपए की शेष राशि मात्र 9.46 प्रतिशत है, जो ऐरा द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान केवल 1.25 माह के औसत व्यय के बराबर है। इसके अतिरिक्त ऐरा के पास रखी 221.07 लाख रूपए की खर्च न गई कुल राशि में से 51.30 लाख रूपए वेतन से संबंधित है जिसका उपयोग मार्च, 2023 माह के वेतन का संवितरण करने के लिए 01.04.2023 को भुगतान करने के लिए किया गया था। खर्च न की गई 169.77 लाख रूपए की शेष राशि सामान्य शीर्ष से संबंधित है जिसका उपयोग संविदा पर तैनात कार्मिकों के मार्च, 2023 माह के वेतन का 01.04.2023 को भुगतान करने के लिए किया गया था। संविदा पर तैनात कार्मिकों के वेतन के अतिरिक्त अप्रैल, 2023 में सांविधिक देय राशियों अर्थात् बिजली, लीज़, कर आदि से संबंधित भुगतान जारी करने के लिए भी है।</p> <p>यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ऐरा के सुचारू कार्यचालन के लिए पूरे वित्त वर्ष के दौरान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आवश्यक अनुदान वेतन शीर्ष और सामान्य शीर्ष में थोड़ा-थोड़ा करके जारी किए जा रहे हैं।</p> <p>सामान्यतः वेतन/सामान्य शीर्ष के अंतर्गत अनुदान की पहली किस्त नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष के अप्रैल के अंत में या मई में जारी की जा रही है।</p> <p>अतः ऐरा के लिए यह अनिवार्य है कि वित्त वर्ष के प्रारंभ में इसके बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि (अर्थात् वेतन शीर्ष में एक माह के वेतन और सामान्य शीर्ष में दो माह के वेतन के बराबर की राशि) रखी रहे।</p>
---	---	---

<p><b>(ग)</b> सामान्य</p>	<p><b>(क) अन्य आय (अनुसूची) – 103.83 लाख रूपए</b> अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया – 103.29 लाख रूपए पिछले वर्षों में किए गए प्रावधानों का उचित रूप से सामाधान किए बिना “अन्य आय” के अंतर्गत “अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया” में 103.29 लाख रूपए की राशि दर्ज की गई थी।</p> <p>अतः लेखा परीक्षा उपर्युक्त लेन-देन को सुरक्षित प्रमाणित नहीं कर सकती।</p>	<p>पिछले वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की जांच कर ली गई है और इन्हें 31.03.2023 में बताई गई वर्तमान देयता में पुनः दिखाया गया है।</p> <p>प्रत्येक शीर्ष पर उचित रूप से ध्यान देकर और समाधान करने के बाद पिछले वर्ष के 103.29 लाख रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को लेखा बहियों में वापस ले लिया गया है और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसे स्पष्ट भी कर दिया गया था।</p>
	<p><b>(ख) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान</b> स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के अनुरूप) – 502.15 लाख रूपए प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 21 के अनुरूप) – 688.03 लाख रूपए</p> <p>ऊपर उल्लिखित लेखे तदनुसूची 20 (अर्थात 571.77 लाख रूपए) और तदनुसूची 21 (अर्थात 718.60 लाख रूपए) से मेल नहीं खाते हैं।</p> <p>अतः इस दृष्टि से विवरण में कमी है।</p>	<p>प्राप्तियां और भुगतान लेखे नकद आधार अर्थात वास्तविक प्राप्तियों और वास्तविक भुगतानों के संबंध में तैयार किए जाते हैं, परंतु आय और व्यय लेखे उपार्जित राशि के संबंध में तैयार किए जाते हैं अर्थात इसमें प्रावधान और आय तथा व्यय लेखे में मद के उपार्जित परिणाम को शामिल किया जाता है।</p> <p>इन परिणामों के कारण प्राप्ति और भुगतान लेखे में तदनुसूची शीर्ष की राशि आय और व्यय लेखे का मिलान करते समय भिन्न दिखाई गई है। इस कारण से यह राशि तदनुसूची अनुसूची 20 और तदनुसूची अनुसूची 21 से मेल नहीं खा सकती है।</p>

क्र. सं.	बिंदु	जवाब
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता 2022-23 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय की 01.04.2019 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा 09.01.2023 से 13.01.2023 तक आईएडब्ल्यू प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा की गई थी।
2.	<p><b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</b></p> <p>लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देखी गईं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है:</p> <p>(i) पुराने अग्रिम/ वसूल की जा सकने योग्य अन्य राशि का पुनर्विलोकन नहीं किया गया और 3 वर्ष से अधिक समय से यह अप्रयुक्त रखी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र में विभिन्न पक्षकारों को प्रदान किए गए अग्रिम, जिनका समायोजन नहीं किया गया है, का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है [जैसाकि सामान्य वित्त नियमावली के नियम, 238 (4) के अंतर्गत अपेक्षा की गई है]</p> <p>(ii) 2.77 लाख रूपए (वेतन और मजदूरी) और 0.78 लाख रूपए (राशन भत्ता) की राशि 2020-21 और 2021-22 की अवधि से संबंधित है। परंतु इसे पूर्व अवधि की मदों के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रबंधक वर्ग द्वारा पूर्व अवधि का समाधान भी नहीं किया गया।</p> <p>(iii) 2630 रूपए के प्रस्तुत न किए गए चेक पुनर्विलोकन किए बिना दो वर्ष से भी अधिक समय से रखे हुए हैं।</p>	<p>(i) टिप्पणी भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है। सलाह दिए अनुसार इस मामले का पुनर्विलोकन और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>(ii) टिप्पणी भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर ली गई है। सलाह दिए अनुसार इस मामले का पुनर्विलोकन और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>(iii) 2630 रूपए की यह राशि (i) पीएओ सीजीएचएस – 2600 रूपए और</p> <p>(iii) पीएओ डीजीसीए – 30 रूपए के संबंध में प्रस्तुत न किए गए दो चेकों से संबंधित है, तदनुसार इन प्रस्तुत न किए गए दोनों चेकों को लौटाने के लिए उपर्युक्त दोनों कार्यालयों को उन्हें इस कार्यालय से पत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं। जैसे ही यह चेक इस कार्यालय को वापस मिलेंगे नया चेक जारी कर दिया जाएगा।</p>
3	स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
4	वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली कोई वस्तु सूची नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
5	देय सांविधिक राशि की नियमित अदायगी देय सांविधिक राशि समय पर अदा की गई थी।	कोई टिप्पणी नहीं



# Annual Report 2022-23







## Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA)

### Annual Report 2022-23

#### 1. Introduction

Consequent to the recommendations of the Sh. Naresh Chandra Committee report, Govt. of India established Airports Economic Regulatory Authority (AERA). It is a statutory body constituted under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. The AERA was established by the Government vide its notification No GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its Head Office at New Delhi.

#### 2. Profile of the Authority's key Officials.

##### (a) Shri Balwinder Singh Bhullar, Chairperson



Shri Balwinder Singh Bhullar took over as Chairperson, Airports Economic Regulatory Authority of India on 8<sup>th</sup> July, 2019.

Shri Bhullar hails from Amritsar, Punjab and has a distinguished academic career. After completing B.Sc. (Hons.) and M.Sc. in Agricultural Sciences, he joined the Indian Administrative Services in 1986 in Uttar Pradesh Cadre.

As an IAS officer, Shri Bhullar handled several important positions in the State Government of Uttar Pradesh and Government of India, varying from Administration, Industry, Finance, Power, Urban Development, Transport, Civil Aviation, etc. In the Government of Uttar Pradesh he worked as District Magistrate of Ghaziabad & Kanpur Nagar, Municipal Commissioner of Varanasi, Joint Managing Director in UP Financial Corporation, Secretary of Irrigation & Water Resources, Principal Secretary in Departments of Transport & Finance, Member of 4<sup>th</sup> UP State Finance Commission, etc. In the Government of India, he worked as Joint Secretary to 13<sup>th</sup> Central Finance Commission, Joint Secretary, Department of Expenditure, in the Ministry of Finance, Joint Secretary and Additional Secretary in the Ministry of Civil Aviation and finally as Director General of Civil Aviation (DGCA) before superannuating from the Government Service in May, 2019.

##### (b) Shri Shirish Krishna Vyawahare, Member



Shri Shirish Krishna Vyawahare has taken over charge as Member, Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) on 1st November, 2021. He obtained the degree of Bachelor of Technology in Civil Engineering from Indian Institute of Technology, BHU, Varanasi in 1983. He has undergone 30 days Advanced Management Programme conducted by Management Development Institute, Gurgaon in September, 2011.

Initially, Shri Vyawahare worked for four years with Gammon India Limited. After joining Airports Authority of India (AAI) in 1989 as Assistant Executive Engineer, he rose to the position of Executive Director, Engineering.

In AAI, Shri Vyawahare executed the work of Civil Aviation Training Centre, a centre of excellence, at Allahabad. He executed the work of New Expandable Modular Integrated Terminal buildings at Bhopal and Indore Airports and both the Airports were ranked First and Second respectively in the National Competition for Professionals in Structural Steel Design and Construction 2010-11, organized by Institute of Steel Development & Growth. He received “SUPREME ENGINEERS” Award 2012 organized by Economic Research India Pvt. Ltd. for Indore Terminal building and Indian Buildings Congress award 'IBC Trophy 2011' for Bhopal Terminal Building.

Shri Vyawahare received 'SIR VISVESVARAYA AWARD' from Chairman, AAI on 15th September, 2012 for excellent contribution in Engineering Services.

**(c) Shri Dharmendra Kumar Kamra (IAP), Member**



An Engineering Graduate, with Post Graduate diploma in Construction Management & MBA, Mr. Kamra has completed Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP), conferred with IAP (International Airport Professional) by Airport Council International (ACI) in association with ICAO. He has successfully completed Professional Courses in “PPP mode of Airport development conducted by Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad, Advance Management Programme on Senior Management development conducted by Management Development Institute (MDI) and Frankfurt Institute of Management, Germany.

After serving Private Sector for 5 years and NDDB (NDRI) for 4 years, Mr. Kamra joined AAI in 1994. He was actively involved in implementation of 35 + 20 non-metro AAI Airport Development and was actively involved in design of Airfield Pavements as well. With his rich Project Planning & Implementation experience, he has earned many accolades in construction industry. After Planning and Implementing Chandigarh International & Jammu Airport terminals (both rated as GRIHA-IV Star by Ministry of Renewable Energy, Government of India), he was awarded CIDC Vishwakarma Award 2016 (Best Construction Project), SKOCH BSE Order of Merit & SKOTCH BSE Award by Bombay Stock Exchange, Indian Building Congress (IBC) award for excellence in Built Environment 2014-15 and Smart Building Award 2016 by Network 18 and Honeywell.


As Executive Director since 2017 in AAI, his contributions were:

- a) As Executive Director North Eastern Region 2017-2019, he was awarded with CHAIRMAN's Excellence Award 2018 by Chairman, AAI for doing turnaround of the entire North-East Region to develop Airfield infrastructure, Cargo etc. Subsequently, he was also awarded with CIDC-2019 Vishwakarma Award in Public Servant category.
- b) As ED (JVC & Tariff), was responsible for planning to implement tariff revision for 83 non-major Airport (2019-20), revision of ANS charges for all Indian Airports in addition to tariff determination of AAI owned Major Airports.
- c) As Regional ED (NR) he was awarded CHAMPION OF UDAN on 22.11.2021 by Hon'ble Minister of Civil Aviation for RCS Airport Development in NR & NER. He was responsible for development of Kushinagar, Gorakhpur, Dehradun Airports development in addition to 35 NR Airports including Ayodhya and 08 RCS Airports of UP.

Mr. Kamra has represented Airports Authority of India, on the boards as Board Member of the Chandigarh International Airport Limited (CHIAL), a joint venture company of AAI & State Governments of Haryana and Punjab & Ludhiana International Airport Limited (LIAL) and BIS (Bureau of Indian Standards).

### 3. Organisational structure

Organization structure of the Authority is given below:



AERA's staff comprises of official with experience in the aviation and finance sector on deputation from various Central, State Services & departments/ organizations. At the end of the period of Annual Report, AERA had a total strength of 25 employees including Chairperson, Members & Secretary.

### 4. Scope of the Regulation

The Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) was established in 2009 under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 to regulate tariff and other charges for the aeronautical services rendered and to monitor performance standards at major airports. The Authority finalised its regulatory philosophy and guidelines in 2010-11 for determining the Aeronautical tariff of Airport Operators and Independent Service Providers of Cargo Facility, Ground Handling and supplying Fuel to Aircraft.

4.1. The main functions of the Authority are as under:

- a) To determine the tariff for the aeronautical services
- b) To determine the amount of Development Fees in respect of major airports
- c) To determine the amount of PSF levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 made under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934)
- d) To monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by Central Government or any Authority authorized by it in this behalf.

The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2021, scope of major airport has been expanded, which is extracted below:

*“1.(1) This Act may be called the Airports Economic Regulatory of India (Amendment) Act, 2021.*

*(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.*

*2. In Section 2 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, in clause (i), after the words, “any other airport”, the words “or a group of airports” shall be inserted.”*

4.2. As on 31.03.2023, the total number of Major Airports were 27, details of which is given hereunder:

1. Indira Gandhi International Airport, Delhi
2. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai
3. Kempegowda International Airport, Bengaluru
4. Rajiv Gandhi international Airport, Hyderabad
5. Cochin International Airport, Kochi
6. Chandigarh International Airport, Chandigarh
7. Chennai International Airport, Chennai
8. Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata
9. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad
10. Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram
11. Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow
12. Jaipur International Airport, Jaipur
13. Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati
14. Calicut International Airport, Kozhikode
15. Goa International Airport, Goa
16. Pune International Airport, Pune
17. Jay Prakash Narayan International Airport, Patna
18. Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar
19. Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi
20. Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar
21. Swami Vivekananda Airport, Raipur
22. Tiruchirappalli International Airport, Tiruchirappalli
23. Mangalore International Airport, Mangaluru
24. Kannur International Airport Limited, Kannur
25. Sheikh UlAlam International Airport, Srinagar
26. Shirdi International Airport, Shirdi
27. Manohar International Airport, MoPA, Goa

## 5. Tariff orders issued by the Authority

During the Financial Year 2022-23 (01.04.2022 to 31.03.2023), the Authority issued the following Orders, based on its Philosophy and Guidelines, for determining the Aeronautical tariff of Airport Operators and Independent Service Providers of Cargo Facility, Ground Handling and supplying Fuel to Aircraft:

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
<b><u>Airport Tariff Orders</u></b>			
1.	Order No. 4/2022-23	Determination of Aeronautical Tariff for Goa International Airport, Goa (GOI) for the Third Control Period (01.04.2021 – 31.03.2026)	03.06.2022
2.	Order No. 38/2022-23	In the matter of Determination of Aeronautical Tariff for Mangaluru International Airport (IXE) for the First Control Period (01.04.2021 - 31.03.2026).	12.01.2023
3.	Order No. 40/2022-23	In the matter of Determination of Aeronautical Tariff for SardarVallabhbbhai Patel International Airport (SVPIA) Ahmedabad (AMD) for the Third Control Period (01.04.2021 31.03.2026)	18.01.2023
	Addendum to Order No. 40/2022-23	In the matter of determination of aeronautical tariff for SardarVallabhbbhai Patel International Airport, Ahmedabad (AMD) for the Third Control Period (01.04.2021 to 31.03.2026).	03.03.2023
<b><u>Independent Service Providers</u></b>			
<b><u>(i) Fuel Farm &amp; ITP Service</u></b>			
3.	Order no. 03/2022-23	Determination of Aeronautical Tariff for M/s Indian Oil Skytanking Delhi Private Limited (IOSDPL) providing Into Plane Services (ITP) at Indira Gandhi International Airport (IGIA), Delhi for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	25.05.2022
4.	Order no. 05/2022-23	Determination of tariff for Into Plane Services in respect of M/S Bharat Stars Services (Delhi) Private Limited (BSSDPL) at Indira Gandhi International Airport (IGIA), Delhi for the Third Control Period (01.04.2021 to 31.03.2026).	03.06.2022

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
<b><u>(ii) Ground Handling Service</u></b>			
6.	Order no. 07/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services for Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) at Mangaluru International Airport, Mangaluru for The First Control Period (FY 2021-22 To FY 2025-26).	15.06.2022
7.	Order no. 15/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services provided by Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) at Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	27.07.2022
8.	Order no. 23/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services provided by M/s Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) at Kempegowda International Airport, Bengaluru for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	23.09.2022
9.	Order no. 26/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services provided by M/s Bird Airport Services (Trichy) Private Limited (BASTPL) At Trichy International Airport (TIA), Tiruchirappalli for the First Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	18.10.2022
10.	Order no. 27/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services for GSEC Bird Airport Services Private Limited (GBASPL) at Thiruvananthapuram for the Third Control Period (FY 2021-22 To FY 2025-26).	31.10.2022
11.	Order no. 31/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services for Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) at Thiruvananthapuram International Airport, Thiruvananthapuram for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	02.12.2022
12.	Order no. 33/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Service Provided by M/s Bird Worldwide Flight Services Mumbai Private Limited (BWFSMPL) at ChhatrapatiShivajiMaharaj International Airport (CSMIA), Mumbai for The Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	29.12.2022
13.	Order no. 34/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services Provided by M/s Bird Worldwide Flight Services (India) Private Limited, BWFS(I) at Indira Gandhi International Airport (IGIA), Delhi for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	29.12.2022

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
14.	Order no. 39/2022-23	Determination of Tariff for Ground Handling Services for Bird Worldwide Flight Services (India) Private Limited (BWFS) at Cochin International Airport, Cochin for the Third Control Period (FY 2021-22 to 2025-26).	12.01.2023
<b><u>(iii) Cargo Service</u></b>			
15.	Order no. 06/2022-23	Determination of tariff for Cargo Handling charges for Express Industry Council of India (EICI) at IGI Airport, Delhi for the Third Control Period (01.04.2021 to 31.03.2026).	09.06.2022
16.	Order no. 20/2022-23	Determination of Cargo Handling Charges for M/s Mumbai Cargo Service Center Airport Private Limited (MCSCAPL) at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA), Mumbai for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	30.08.2022
17.	Order no. 32/2022-23	Determination of Tariff for Cargo Handling Services for M/s Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt. Ltd. (CDCTM) at Indira Gandhi International Airport, Delhi for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	29.12.2022
18.	Order no. 37/2022-23	Determination of Tariff for Cargo Handling Services for M/s Delhi Cargo Service Center Private Limited (DCSC) at Indira Gandhi International Airport, Delhi for the Third Control Period (FY 2021-22 to FY 2025-26).	06.01.2023
<b><u>Interim Arrangement for Extension</u></b>			
19.	Order no. 01/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Cargo Terminal Operations (CTO) Services, provided by AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited at Netaji Subhash Chandra Bose (NSCB).	20.04.2022
20.	Order no. 02/2022-23	Determination of ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Indo Thai Calicut Private Limited, at Calicut International Airport, Kozhikode for the period from 01.06.2022 to 30.09.2022.	10.05.2022
21.	Order no. 08/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Integrated Fuel Storage and Into Plane (ITP) Services to be provided at Chaudhary Charan Singh International Airport (CCSIA), Lucknow by Lucknow International Airport Ltd for the period from 01.07.2022 to 31.03.2023.	16.06.2022

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
	Addendum to Order no. 08/2022-23	In the matter of Order no. 08/2022-23 dated 16.06.2022 regarding ad hoc Tariff for Integrated Fuel Storage and Into Plane (ITP) Services provided at Chaudhary Charan Singh International Airport (CCSIA), Lucknow, by Lucknow International Airport Ltd for the period from 01.07.2022 to 31.03.2023. - Interim arrangement to continue the existing tariff (as on 31.03.2023) up to 30.09.2023.	29.03.2023
22.	Order no. 09/2022-23	Levy of Development Fee (DF) for Project Works and Metro Development Fee (MDF) for Metro Project Work at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai - Extension of period of levy of DF & MDF-reg.	30.06.2022
23.	Order no. 10/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s IndoThai Bhubaneshwar Private Limited at Biju Patnaik International Airport, Bhubaneshwar for the period from 01.07.2022 to 31.03.2023.	30.06.2022
24.	Order no. 11/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Domestic Cargo Handling Services provided by M/s AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited at Mangaluru International Airport, Mangaluru.	30.06.2022
25.	Order no. 12/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s IndoThai Varanasi Private Limited at Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi for the period from 11.07.2022 to 31.03.2023.	05.07.2022
26.	Order no. 13/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Domestic and International Cargo Handling Services provided by M/s AAICLAS, at Srinagar International Airport, Srinagar.	05.07.2022
27.	Order no. 14/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for International Cargo Handling Services provided by M/s AAICLAS, at Tiruchirappalli International Airport, Trichy.	07.07.2022
28.	Order no. 16/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Integrated Fuel Storage and Into Plane (ITP) Services to be provided by Ahmedabad International Airport Limited (AIAL) at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad for the period from 16.08.2022 to 31.03.2023.	01.08.2022



Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
29.	Order no. 17/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/S Indo Thai Amritsar Private Limited at Sri Guru Ram Das Jee International Airport, Amritsar for the period from 22.08.2022 to 31.03.2023.	18.08.2022
30.	Order no. 18/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/S Indo Thai Pune Private Limited at Pune International Airport, Pune for the period from 22.08.2022 to 31.03.2023.	18.08.2022
31.	Order no. 19/2022-23	Ad hoc tariff for aeronautical services to be provided at Goa International Airport Limited (GIAL), MOPA w.e.f the Commercial Date of Operation ("CoD") upto 31.03.2023.	26.08.2022
32.	Order no. 21/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Global Flight Handling Services (Raipur) Private Limited, at Swami Vivekananda International Airport, Raipur, for the period from 01.09.2022 to 31.03.2023.	31.08.2022
33.	Order no. 22/2022-23	Interim arrangement to levy the existing tariffs to continue till 31.03.2023.	20.09.2022
34.	Order no. 24/2022-23	In the matter of Order no. 46/2021-22 dated 17.03.2022 regarding Services provided by Independent Service Providers Airport Operators for Cargo Handling and Ground Handling - Interim arrangement to continue the existing tariff (as on 30.09.2022) till 31.03.2023.	23.09.2022
35.	Order no. 25/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Celebi Airport Services (India) Pvt. Ltd. (CASIPL) at GOA International Airport (GIA), Mopa, Goa, w.e.f. Commercial Operations Date (COD) till 31.03.2023.	07.10.2022
36.	Order no. 28/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Domestic and International Cargo Handling Services to be provided by GMR Airports Limited, at Goa International Airport, Mopaw.e.f. Commercial Operations Date (COD) till 30.09.2023.	14.11.2022

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
37.	Order no. 29/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Fuel Farm and Into Plane Services to be provided by Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) at Goa International Airport, MOPA, Goa, w.e.f, from Commercial Operations Date (COD) up to 30.09.2023.	30.11.2022
38.	Order no. 30/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by Mis Aurea SivasurchetvakaAircab GH Services Srinagar Private Limited at Srinagar International Airport for the period from Commercial Operations Date (COD) up to 30.09.2023.	01.12.2022
39.	Order no. 35/2022-23	In the matter of Order no. 24/2022-23 dated 23.09.2022 regarding Economic Regulation of Aeronautical Services provided by Independent Service Providers/Airport Operators of Cargo Handling, Ground Handling and Supply of Fuel to the aircraft - Extension of existing tariffs up to 31.03.2023.	30.12.2022
40.	Order no. 36/2022-23	Determination of Ad-hoc Tariff for Ground Handling Services to be provided by M/s Celebi Ground Handling India Private Limited at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad from Commercial Operations Date (COD) up to 31.03.2023.	05.01.2023
41.	Order No. 41/2022-23	Interim arrangement to levy the existing tariffs to continue till 30.09.2023.	22.03.2023
42.	Order No. 42/2022-23	In the matter of Order no. 24/2022-23 dated 23.09.2022 regarding Services provided by Independent Service Providers/Airport Operators for Cargo Handling, Ground Handling & Supply of Fuel to the aircrafts- Interim arrangement to continue the existing tariffs (as on 31.03.2023) up to 30.09.2023.	23.03.2023
43.	Order No. 43/2022-23	In the matter of levy of Development Fee (DF) for Project Work and Metro Work at ChhatrapatiShivajiMaharaj International Airport, Mumbai – reg.	29.03.2023

## 6. Monitoring of Performance Standards –

One of the key functions of AERA is “to monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of services as may be specified by the Central Govt. or any authority authorised by it in this behalf”. Service standards in case of PPP Airports are defined in the respective Concessoin Agreements. Similarly, Airport Authority of India enters into MoU with MoCA to achieve certain level of rating as Airport Service Quality (ASQ) issued by Airports Council International (ACI).

The authority is currently relying on the ratings given by various agencies such as ACI, Skytrax etc. appointed by the airport operators to monitor the performance standards at the airports.

## 7. Court Cases in AERA

At the end of the period, Thirty-Six (36) cases were pending in the various Courts/Tribunal wherein AERA is one Party. Nine (09) new cases (Hon'ble TDSAT-07, Hon'ble High Court-01, Hon'ble Supreme Court-01) were filed and Seventeen (17) cases were disposed of during the year 2022-23. The details of pending cases as on 31.03.2023 are as under:

Sl. No.	Court/Tribunal	No. of cases
1	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)	29
2	Supreme Court of India	05
3	High Court of Delhi	01
4	Central Government Industrial Tribunal – Labour Court	01
	<b>Total cases</b>	<b>36</b>

## 8. Administrative & Establishment matters

### (a) Organization of Special Campaign for disposal of pending matters and cleanliness:

As per directions received from MoCA, Special Campaign for disposal of pending matters and cleanliness was observed in the Authority during 2nd Oct 2022 to 31st Oct 2022. During the Special Campaign, AERA building and its surroundings were cleaned and beautified; old & condemned furniture, e-waste and other scrap items were disposed off in an eco-friendly manner. Waste papers totaling 331 Kgs were given for disposal in an environment friendly manner and revenue of Rs. 8275/- was generated from disposal of the e-waste.

Consequently, on directions of MoCA, weekly Special Drives were conducted, during which, all officers and officials reviewed the files /documents no longer relevant and segregated the same for weeding out as also cleaned respective workplace & drawers etc.

### (b) Implementation of Official Language Policy of Government

All out efforts were made for Implementation of the Official Language Policy of the Government

in AERA. In order to create a conducive environment for doing official work in Hindi, various Competitions, Lectures and Talks on the occasion of National Festivals as well as Birth Anniversary of the prominent personalities were held and displayed documentary films also in the office. During these events, various prizes were also distributed amongst the winners.

Apart from this, Hindi Fortnight was organised from 14-29 September, 2022 and various Hindi Competitions were organized, in which 80 Officials participated with a great zeal. Winners were Awarded with the Cash prize and merit Certificate.

Besides Two (02) Officials from the Authority were participated in All India Level Hindi Conference, which is organised from 14-15 September, 2022 by the Department of Official Language in Surat (Gujrat). Similarly two (02) personnel were also participated in joint Regional Conference on Official Language and Prize Distribution Ceremony, which is also organised by the Department of Official Language in Amritsar (Punjab). Four (04) Hindi Workshops for Officers/Employees were organized from 01.04.2022 to 31.03.2023 in which a total 128 Officers/Employees participated.

Meetings of the Official Language Implementation Committee chaired by the Chairperson, AERA were held regularly in each quarter during the year. Hindi Incentive Scheme of Government of India has been implemented in the Authority with a view to motivate the Officers/Employees to do their maximum work in Hindi. Cash Prizes amounting to a total of Rs. 28,000/- and citation certificates were awarded to the eight (08) officials who were declared winners in this schemes during the year 2021-22.

### **(c) Women Welfare including Gender Budgetary Data**

AERA has 13 Women employees comprising of officers/staff on deputation from various Central/State Government Organizations, loan basis from AAI and support staff working on outsourced basis. Adequate women welfare measures like provision of transport/ vehicle for pick up/ drop at home in case of medical emergency or early arrival/ late departure from office due to official exigencies of work; organization of a general talk on sexual harassment of women at workplace; dedicated female housekeeping staff for female washrooms etc. have been made available in the office premises.

### **(d) Public Grievance Redressal Machinery**

The Authority is registered with the Central Public Grievances portal of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and grievances are addressed within the stipulated time.

### **(e) Pollution Control**

The Authority encourages and accordingly incentivises the airports during the tariff determination process for environmental friendly measures undertaken by them. These broadly include use of solar/ renewable energy, rain water harvesting, recycling of water through treatment plant etc. During the Special Campaign organized during October 2-31, 2022, special teams of AERA officers conducted inspections at few major airports viz. Hyderabad, Cochin and Chennai with respect to environmental friendly and pollution control initiatives and measures undertaken by them.

### **(f) SC/ST and OBC representation as on 31.03.2023.**

The Authority recruits' officers & staff of AERA on deputation basis only and, hence, reservation policy is not directly applicable. However, officers and staff of AERA have sufficient representation of SC, ST and OBC categories.

**(g) Facilities for differently abled persons.**

AERA is housed in a rented building belonging to Air India(now AIAHL) with lift installed and has accessibility for the differently abled. Washrooms have been made friendly for the differently abled by making them accessible through ramps and support handles. AERA Website is friendly for the differently abled.

**(h) Major Achievements**

The Authority determined tariffs for Major Airports at Goa International Airport (GOI) (Order No. 04/2022-23 dated 03.06.2022), Mangaluru International Airport (Order No. 38/2022-23 dated 12.01.2023), SardarVallabhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad (Order No. 40/2022-23 dated 18.01.2023) for the Control Period 01.04.2021 to 31.03.2026.

In addition, the Authority has also determined Tariffs in respect of Independent Service Providers (ISPs) in respect of services relating to Cargo, Ground Handling & Supply of Fuel to the aircraft at various Major Airports.

During the period of the report i.e. 1st April, 2022 to 31st March, 2023, a total of 43 Tariff Orders were issued by AERA for different Airport Operators and Independent Service Providers as enumerated below:

S. No.	Type of Tariff Orders (including Interim Tariff Orders)	Nos. of Orders
1.	Airport Operators	03
2.	Cargo, Ground Handling & Fuel	
	• Cargo	04
	• Ground Handling	09
	• Fuel	02
3.	Interim Arrangement of Extension	25
	<b>Total cases</b>	<b>43</b>

**9. Budget**

**Funding structure**

AERA receives its funding through Grants-in-Aid from the Government. During FY 2022-23, a sum of Rs.19.00 crores was received by AERA through the Ministry of Civil Aviation. AERA does not levy or collect any fee / charges for its services.

## **10. Regulatory Advocacy and protection of interest of users**

The Authority officials participate in seminars / workshops to disseminate information on the functions and activities of the regulatory philosophy. AERA is also a member of the Forum of Indian Regulators and regularly participates in its activities to keep abreast with developments in other Regulatory Authorities.

## **11. Capacity Building**

The Authority encourages and nominates its officers and staff for participation in various Training Programmes/ Seminars/ Workshops relevant to functioning of the Authority.

## **12. Accounts & Audit**

Income & Expenditure Account for the FY 2022-23 and Balance Sheet as on March 31, 2023 are enclosed.





# Annual Statement of Accounts 2022-23







FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023

(AMOUNT Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/CAPITAL FUND	1	-2,32,18,216.61	-99,83,044.48
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUND	3	16,00,00,000.00	8,00,00,000.00
SECURED LOANS BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	5,01,82,769.00	5,82,84,949.02
<b>TOTAL</b>		<b>18,69,64,552.39</b>	<b>12,83,01,904.54</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	8	16,00,00,273.00	8,00,00,156.00
INVESTMENT-FORM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENT-OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	2,69,64,279.39	4,83,01,748.54
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)			
<b>TOTAL</b>		<b>18,69,64,552.39</b>	<b>12,83,01,904.54</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	-	-
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25	-	-

For Mahalwala & Co.  
Chartered Accountant



CA Farhat Miyan  
(Partner)  
M.No. 544904  
F R N NO: 005823N  
Date: 26/06/2023  
Place: New Delhi

On behalf of management of  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NAME: Col MANU SOODEN  
DESIGNATION: SECRETARY  
DATE:

मनु सूदन / MANU SOODEN  
सचिव / Secretary  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्रा.  
(नागर विमानन मंत्रालय)  
Airports Economic Regulatory Authority  
(Ministry of Civil Aviation)

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023**

(AMOUNT Rs)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>			
INCOME FROM SALES/ SERVICES	12	-	-
GRANT/SUBSIDIES	13	10,54,19,142.00	15,71,86,554.00
FEES/SUBSCRIPTIONS	14	-	-
INCOME FROM INVESTMENTS	15	-	-
(INCOME ON INVEST. FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND TRANSFERRED TO FUND)			
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	16	-	-
INTEREST EARNED	17	-	4,23,877.00
OTHER INCOME	18	1,03,83,375.00	62,687.00
INCREASED/(DECREASED) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	19	-	-
<b>TOTAL (A)</b>		<b>11,58,02,517.00</b>	<b>15,76,73,118.00</b>
<b>EXPENDITURES</b>			
ESTABLISHMENT EXPENSES	20	5,71,77,665.00	4,66,63,073.00
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	21	7,18,60,024.13	10,35,64,695.00
DEPRECIATION	8	-	-
EXPENDITURES ON GRANTS AND SUBSIDIES	22	-	-
INTEREST	23	-	-
<b>TOTAL (B)</b>		<b>12,90,37,689.13</b>	<b>15,02,27,768.00</b>
<b>Balance being excess of income over Expenditures (A-B)</b>		<b>-1,32,35,172.13</b>	<b>74,45,350.00</b>
Transfer to Special Reverse (Specify each)			-
Transfer to /from General Reverse			-
<b>BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND</b>		<b>-1,32,35,172.13</b>	<b>74,45,350.00</b>
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

On behalf of management of  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NAME: Col MANU SOODEN  
DESIGNATION: SECRETARY  
DATE:

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

	RECEIPTS		PAYMENTS		(AMOUNT RS)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	LEXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	
<b>I. OPENING BALANCES</b>						
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)	5,02,15,161.00	3,91,40,271.00	
b) Bank Balance (Schedule 11)	25,21,771.54	-3,76,546.00	b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)	6,88,03,401.16	7,64,31,708.00	
i) in current accounts	4,43,38,578.00	1,54,50,167.52	Advance Payment to Vendors/Employees	-	-	
ii) in deposit accounts	-	-				
iii) in saving accounts	-	-				
<b>II. GRANTS RECEIVED</b>			<b>II. PAYMENTS MADE AGAINST FUNDS FOR VARIOUS PROJECTS</b>			
a) From Government of India - Revenue (Schedule 13)	11,00,00,000.00	15,71,86,534.00	(Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)			
b) From Government of India - Capital (Schedule 3)	8,00,00,000.00	8,28,13,446.00				
c) From Other Sources (details) (grant for capital & revenue exp to be show separately)	-	-				
<b>III. INCOME ON INVESTMENT FROM</b>			<b>III. INVESTMENTS AND DEPOSITS MADE</b>			
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	-	
b) Own fund (other investment)	-	-	b) Out of Own Funds (Investment Other)	-	-	
<b>IV. INTEREST RECEIVED</b>			<b>IV. EXPENDITURES ON FIXED ASSETS &amp; CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>			
a) On Bank Deposits	7,15,061.00	4,19,439.00	a) Purchase of fixed Assets	45,80,975.00	28,13,446.00	
b) Loan Advance etc.	-	-	b) Expenditure on Capital Work in Progress	8,00,00,000.00	8,00,00,000.00	
<b>V. OTHER INCOME (Schedule 18)</b>			<b>V. REFUND OF SURPLUS MONEY/LOANS</b>			
	-	62,687.00	a) Purchase of Fixed Assets	-	-	
<b>VI. AMOUNT BORROWED</b>			b) To the State Government	-	-	
	-	-	c) To the Other providers of fund	-	-	
<b>VII. ANY OTHER RECEIPTS</b>			<b>VI. FINANCE CHARGES</b>			
EMD	6,00,000.00	17,82,328.02				
Security Deposit	3,60,000.00	-	<b>VII. OTHER PAYMENTS (SPECIFY)</b>			
Other Receipt	15,86,668.01	-	a) Duties and Taxes	1,11,59,054.00	1,14,92,301.00	
	-	-	b) Security Deposit refunded	-	6,00,000.00	
<b>VIII. CLOSING BALANCES</b>			<b>VIII. CLOSING BALANCES</b>			
			a) Cash in hand	24,87,613.39	25,21,771.54	
			b) Bank Balances (Schedule 11)	2,28,75,874.00	4,43,38,578.00	
			i. in current accounts			
			ii. In deposit accounts			
			iii. In saving Accounts			
<b>TOTAL</b>	<b>24,01,22,078.55</b>	<b>25,73,38,075.54</b>		<b>24,01,22,078.55</b>	<b>25,73,38,075.54</b>	

On behalf of management of  
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NAME: COI MANU SOODEN  
DESIGNATION: SECRETARY  
DATE:

  
मनु सूदन / MANU SOODEN  
सचिव / Secretary  
मानव संसाधन विभाग / HR Department  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Authority of India  
नगर, दिल्ली / New Delhi  
Airports Economic Regulatory Authority  
(Ministry of Civil Aviation)

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023**

(AMOUNT Rs)

SCHEDULE 1: CORPUS/CAPITAL FUND	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Balances as at the beginning of the year		-99,83,044.48	-1,74,28,394.48
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund			-
Add: Balances of net income/ expenditures transferred from the income and expenditures Account		-1,32,35,172.13	74,45,350.00
<b>BALANCE AT THE YEAR END</b>		<b>-2,32,18,216.61</b>	<b>-99,83,044.48</b>

SCHEDULE 2- REVERSE AND SURPLUS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>1. CAPITAL RESERVE</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
<b>2. Revaluation Reserve</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
<b>3. SPECIAL RESERVE</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
<b>4. GENERAL RESERVE</b>			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of the Funds		8,00,00,000.00	-
b) Additions to the Funds		8,00,00,000.00	-
i) Donations/Grants		-	8,00,00,000.00
ii) Income from Investments made on account of funds		-	-
iii) Other additions		-	-
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>16,00,00,000.00</b>	<b>8,00,00,000.00</b>
c) Utilisation of Funds			
i) Capital Expenditure			
Fixed Assets		-	-
Others		-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
ii) Revenue Expenditure			
Salaries, Wages and allowances etc.		-	-
Rent		-	-
Other Administrative expenses Total		-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ©</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)</b>		<b>16,00,00,000.00</b>	<b>8,00,00,000.00</b>

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023

(AMOUNT Rs)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions			
a) Terms Loans		-	-
b) Interest accrued and due		-	-
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	-
Interest accrued and due		-	-
b) Other Loans (Specify) Interest accrued and due		-	-
5. Other Institutions and agencies		-	-
6. Debentures and bonds		-	-
7. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions		-	-
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	-
b) Other Loans (Specify)		-	-
5. Other Institutions and agencies		-	-
6. Debentures and bonds		-	-
7. Fixed Deposits		-	-
8. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-	-
b) Others		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

मनु सूदन/ MANU SOODEN  
सचिव / Secretary  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
(नागर विमानन मंत्रालय)  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023**

(AMOUNT Rs)

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A) CURRENT LIABILITIES</b>			
1. Acceptances		-	-
2. Sundry Creditors :			
a) For Goods		-	-
b) Others	1	-	-
3. Advances Received		-	-
4. Interest accrued but not due on :			
a) Secured Loans/ borrowings		-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings		-	-
5. Statutory Liabilities :			
a) Over due		-	-
b) Others	2	8,24,047.00	1,61,032.00
6. Other Current Liabilities	3	13,94,873.00	22,43,709.02
7. Deferred Grant Income (Refer Foot Note)		252.00	135.00
<b>TOTAL (A)</b>		<b>22,19,172.00</b>	<b>24,04,876.02</b>
<b>B) PROVISIONS</b>			
1. For Taxation		-	-
2. Gratuity		-	-
3. Superannuation/Pension		-	-
4. Accumulated Leave Encashment		-	-
5. Trade Warranties/Claims		-	-
6. Other	4	4,79,63,597.00	5,58,80,073.00
<b>TOTAL (B)</b>		<b>4,79,63,597.00</b>	<b>5,58,80,073.00</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>5,01,82,769.00</b>	<b>5,82,84,949.02</b>

**Foot Note:**

Opening balance at the beginning of the year	135.00	29.00
Grant received during the year	45,80,975.00	28,13,552.00
Grant amortized during the year & netted off with the Fixed Assets	45,80,858.00	28,13,446.00
Closing balance at the end of the year	<b>252.00</b>	<b>135.00</b>

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023

Schedule -8

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK		
	COST/VALUATION AS AT BEGINNING OF THE YEAR	ADDITIONS DURING THE YEAR	DEDUCTION DURING THE YEAR	COST/VALUATION AT THE END YEAR	AS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	ON ADDITIONS DURING THE YEAR	ON DEDUCTION DURING THE YEAR	TOTAL UPTO THE YEAR END	AS AT THE CURRENT YEAR	AS AT THE PREVIOUS YEAR END
<b>A. FIXED ASSETS</b>										
<b>1. LAND</b>										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. BUILDINGS</b>										
a) On Freehold Land	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. PLANT MACHINERY &amp; EQUIPMENT</b>										
	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
<b>4. VEHICLES</b>										
5. FURNITURE, FIXTURES	7.00	1.00	-	8.00	-	-	-	-	8.00	7.00
6. OFFICE EQUIPMENT	56.00	14.00	-	70.00	-	-	-	-	70.00	56.00
7. COMPUTER/PERIPHERALS	65.00	99.00	-	164.00	-	-	-	-	164.00	65.00
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	26.00	3.00	-	29.00	-	-	-	-	29.00	26.00
9. LIBRARY BOOKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. TUBEWELLS & W.SUPPLY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. OTHER FIXED ASSETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR - A</b>	156.00	117.00	-	273.00	-	-	-	-	273.00	156.00
<b>PREVIOUS YEAR</b>	50.00	106.00	-	156.00	-	-	-	-	156.00	50.00
<b>B. CAPITAL WORK IN-PROGRESS</b>										
	8,00,00,000.00	8,00,00,000.00	-	16,00,00,000.00	-	-	-	-	16,00,00,000.00	-
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR - B</b>	8,00,00,000.00	8,00,00,000.00	-	16,00,00,000.00	-	-	-	-	16,00,00,000.00	-
<b>PREVIOUS YEAR</b>	-	8,00,00,000.00	-	8,00,00,000.00	-	-	-	-	8,00,00,000.00	-
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR - C=(A+B)</b>	8,00,00,156.00	16,00,00,117.00	-	16,00,00,273.00	-	-	-	-	16,00,00,273.00	156.00
<b>PREVIOUS YEAR</b>	50.00	8,00,00,106.00	-	8,00,00,156.00	-	-	-	-	8,00,00,156.00	50.00

मनु सूदन / MANU SOODEN  
सचिव / Secretary  
भारतीय विमानपत्तन अधिक विनियामक प्राधिकरण  
(नागर विमानन मंत्रालय)  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023**

(AMOUNT Rs.)

<b>SCHEDULE 9: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>ANNEXURE No.</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

<b>SCHEDULE 10: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>	<b>ANNEXURE No.</b>	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)



FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023

(AMOUNT Rs)

SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A.) CURRENT ASSETS</b>			
1. Inventories :			
a) Stores and Spares		-	-
b) Loose Tools		-	-
c) Stock in Trade Finished Goods		-	-
Work-in-Progress		-	-
Raw Material		-	-
2. Sundry Debtors :			
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months		-	-
b) Others		-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		-	-
4. Bank Balances :			
a) With Schedule Bank			
On Current Accounts		24,87,613.39	25,21,771.54
On Deposit Accounts (includes margin money)		2,28,75,874.00	4,43,38,578.00
On Savings Accounts		-	-
b) With non Schedule Bank			
On Current Accounts		-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
5. Post Office Savings Accounts		-	-
<b>TOTAL (A)</b>		<b>2,53,63,487.39</b>	<b>4,68,60,349.54</b>
<b>B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>			
1. LOANS :			
a) Staff		-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		-	-
c) Other (Specify)		-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received :			
a) On Capital Account (Airport Authority of India)		-	-
b) Prepayments		-	17,724.00
c) Others	5	14,80,542.00	14,19,237.00
3. Income Accrued :			
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund		-	-
b) On Investment - Others		-	-
c) On Loans and Advances		-	-
d) Others		36,959.00	4,438.00
4. Claim Receivable :			
a) TDS Receivable on Interest		83,291.00	-
<b>TOTAL (B)</b>		<b>16,00,792.00</b>	<b>14,41,399.00</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>2,69,64,279.39</b>	<b>4,83,01,748.54</b>

मनु सूदन/ MANU SOODEN  
सचिव / Secretary  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
(नागर विमानन मंत्रालय)  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023**

(Amount Rs.)

SCHEDULE 12: INCOME FROM SALES / SERVICES	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>1. Income from Sales</b>			
a) Sale of Finished Goods		-	-
b) Sale of Raw Material		-	-
c) Sale of Scraps		-	-
<b>2. Income from Services</b>			
a) Labour & Processing Charges		-	-
b) Professional / Consultancy Services		-	-
c) Agency Commission and brokerage		-	-
d) Maintenance Services (Equipment / property)		-	-
e) Other (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

SCHEDULE 13: GRANTS / SUBSIDIES	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
1. Central Government (Refer Foot Note)		10,54,19,142.00	15,71,86,554.00
2. State Government (s)		-	-
3. Government Agencies		-	-
4. Institutions / Welfare Bodies		-	-
5. International Organisations		-	-
6. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>10,54,19,142.00</b>	<b>15,71,86,554.00</b>

Footnote:

Irrevocable Grants & Subsidies Received from Central Government	11,00,00,000.00	16,00,00,000.00
Fixed Assets purchased during the year Net Grant	45,80,858.00	28,13,446.00
	<u>10,54,19,142.00</u>	<u>15,71,86,554.00</u>

SCHEDULE 14: FEES / SUBSCRIPTIONS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Entrance Fees		-	-
2. Annual Fees / Subscriptions		-	-
3. Seminar / Program Fees		-	-
4. GPF Subscription		-	-
5. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2023

	Investment from Earmarked		Investment Others	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE 15: INCOME FROM INVESTMENTS</b>				
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)				
1. Interest	-	-	-	-
a) On Government Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-	-	-
2. Dividend	-	-	-	-
a) On Share	-	-	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-

TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

**DR. RAJESH MANJUNATHAN**  
 Director / Secretary  
 आर्थिक विनियामक  
 अधिकार क्षेत्र  
 भारतीय विमानचालन नियंत्रण प्राधिकरण  
 (Ministry of Civil Aviation)  
 Airports Economic Regulatory Authority

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**  
**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023**

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 16: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Royalty		-	-
2. Income from Publications		-	-
3. Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

SCHEDULE 17: INTEREST EARNED	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>1. On Term Deposits :</b>			
a) With Schedule Banks		-	4,23,877.00
b) With non-Schedule Banks		-	-
c) With Institutions		-	-
d) Others		-	-
<b>2. On Savings Accounts :</b>			
a) With Schedule Banks		-	-
b) With non-Schedule Banks		-	-
c) Post Offices Savings Account		-	-
d) Others		-	-
<b>3. On Loans :</b>			
a) Employees / Staff		-	-
b) Others		-	-
<b>4. Interest on Debtors and other Receivables</b>		-	-
<b>TOTAL</b>		-	4,23,877.00

SCHEDULE 18: OTHER INCOME	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>1. Profit on sale / disposal of assets :</b>			
a) Owned assets		-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		-	-
<b>2. Exports incentives realized</b>		-	-
<b>3. Fees for Miscellaneous Services</b>	6	20.00	30.00
<b>4. Miscellaneous Income</b>	7	8,395.00	62,657.00
<b>5. Prior period income</b>		45,000.00	-
<b>6. Excess Provision written back</b>		1,03,29,960.00	-
<b>TOTAL</b>		<b>1,03,83,375.00</b>	<b>62,687.00</b>

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a).Closing Stock			
- Finished Goods		-	-
- Work-in-progress		-	-
b). Less: Opening Stock			
- Finished Goods		-	-
- Work-in-progress		-	-
<b>NET INCREASE/ (DECREASE) (A-B)</b>		-	-

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	8	5,71,77,665.00	4,66,63,073.00
b) Allowances and Bonus		-	-
c) Contribution to Provident Fund		-	-
d) Contribution to other fund (Specify)		-	-
e) Staff Welfare Expenses		-	-
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits		-	-
g) Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5,71,77,665.00</b>	<b>4,66,63,073.00</b>

SCHEDULE 21: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Purchases		-	-
b) Labour and processing expenses		-	-
c) Cartage and carriage inwards		-	-
d) Electricity and power		19,71,872.00	14,41,901.00
e) Water Charges		-	-
f) Insurance		-	-
g) Repairs and maintenance		2,96,101.00	22,29,778.00
h) Excise Duty		-	-
i) Rent, Rates and Taxes		1,05,21,364.00	1,05,21,364.00
j) Vehicle Running & maintenance Expenses		-	-
k) Postage, Telephone and Communication charges		2,13,503.00	3,15,329.00
l) Printing and stationery		4,36,493.00	3,38,636.00
m) Travelling and Conveyance Expenses		8,86,262.00	4,66,479.00
n) Expenses on Seminar/Workshops		-	-
o) Subscription Expenses		1,00,000.00	1,00,000.00
p) Expenses on Fees		-	-
q) Auditors Remuneration		4,91,300.00	3,00,000.00
r) Hospitality Expenses		95,852.00	99,295.00
s) Professional Charges		1,39,37,994.00	1,91,91,681.00
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		-	-
u) Irrecoverable Balance Written Off		-	-
v) Freight and forwarding Expenses		-	-
w) Distribution Expenses		-	-
x) Advertisement and publicity		4,12,273.00	3,68,105.00
y) AMC Charges		53,23,078.00	11,38,189.00
z) Manpower Hiring		2,95,26,108.00	6,59,05,344.00
aa) Others	9	76,47,824.13	11,48,594.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,18,60,024.13</b>	<b>10,35,64,695.00</b>

**Foot Note:**

**Prior Period items**

Particulars	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Manpower Hiring	-	2,04,30,396.00
AMC Charges	-	1,28,810.89
Travelling and Conveyance Expenses	-	71,116.00
Postage, Telephone and Communication charges	-	17,075.00
AMC Charges	-	9,219.38
Interest Paid to Ministry for F.Y. 2020-21, 2021-22	5,07,837.00	-
Others	99,214.00	21,210.00
	<b>6,07,051.00</b>	<b>2,06,77,827.27</b>

*MS*  
मनु सूदन/ MANU SOODEN  
सचिव / Secretary  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
(नागर विमानन मंत्रालय)  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

SCHEDULE 22: EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Grants given to Institutions / Organisations		-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

SCHEDULE 23: INTEREST	ANNEXURE No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans		-	-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)		-	-
c) Others (Specify)		-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA  
ANNEXURES TO BALANCE SHEET

(Amount Rs.)		
Annexure : I Sundry Creditors	CURRENT YEAR (22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

(Amount Rs.)		
Annexure : 2 Statutory Liabilities	CURRENT YEAR (22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
TCS	-	-
CGST GST TDS @ 1%	19,263.00	67,341.00
IGST GST TDS @ 2%	75,554.00	26,350.00
SGST GST TDS @ 1%	19,263.00	67,341.00
TDS 192A	2,30,676.00	-
TDS 194C	25,098.00	-
TDS 194 I	74,303.00	-
TDS 194 J	3,79,890.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>8,24,047.00</b>	<b>1,61,032.00</b>

(Amount Rs.)		
Annexure : 3 Other Current Liabilities	CURRENT YEAR (22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Security Deposit	7,07,790.00	4,53,751.00
Pay & Accounts Officer, Ministry of Tourism, ND	-	17,82,328.02
Unpresented Cheques	2,630.00	2,630.00
Copier Maintenance Corporation(EMD)	5,000.00	5,000.00
Indian Institute Of Management	1,05,961.00	-
Interest Payable to Ministry	5,73,492.00	-
<b>Total</b>	<b>13,94,873.00</b>	<b>22,43,709.02</b>

(Amount Rs.)		
Annexure : 4 PROVISIONS(Others)	CURRENT YEAR (22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Pension & Salary Provision	20,00,000.00	18,00,000.00
Professional Fee Provision	6,00,236.00	6,90,432.00
Provision for AMC	70,695.00	4,71,403.00
Provision for AAI Vehicle	-	23,93,000.00
Provision for Audit Fee	7,91,300.00	9,00,000.00
Provision for Hiring Vehicle	94,498.00	61,979.00
Provision for Hiring Gardener	2,000.00	2,000.00
Provision for House Keeping Expense	68,044.00	1,29,723.00
Provision for Manpower Outsourcing	3,21,30,983.00	4,06,53,192.00
Property Tax Aera	-	-
Provision for Electricity & Power	11,66,578.00	2,01,386.00
Provision for Repair & Maintenance Charges	58,21,869.00	41,58,869.00
Provision for Other Expenses	2,44,922.00	2,36,629.00
Provision For Salary Exp	47,29,472.00	38,03,460.00
Provision for CEA	2,43,000.00	3,78,000.00
<b>Total</b>	<b>4,79,63,597.00</b>	<b>5,58,80,073.00</b>

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
सचिव / Secretary  
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
(नागर विमानन मंत्रालय)  
Airports Economic Regulatory Authority of India  
(Ministry of Civil Aviation)

(Amount Rs.)

Annexure : 5 Advances and other amounts recoverable in cash or in kind (others)	CURRENT YEAR(22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Airport Authority of India	7,55,671.00	7,55,671.00
Advance Payment - S K Vyawahare	62,487.00	1,182.00
Sh BS Bhullar	-	-
Festival Advance to Employee	-	-
Airport Authority of India	5,41,645.00	5,41,645.00
Energy Efficiency Services Limited	1,20,739.00	1,20,739.00
TDS Deducted (Recoverable from ICICI)	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14,80,542.00</b>	<b>14,19,237.00</b>

(Amount Rs.)

Annexure : 6 Fees for Miscellaneous Services	CURRENT YEAR(22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Postal order / RTI Fees	20.00	30.00
<b>TOTAL</b>	<b>20.00</b>	<b>30.00</b>

(Amount Rs.)

Annexure : 7 Miscellaneous Income	CURRENT YEAR(22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Sale of old furniture and scrap	8,275.00	15,550.00
Other Receipt	120.00	34,337.00
Sale of laptop	-	12,770.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,395.00</b>	<b>62,657.00</b>

(Amount Rs.)

Annexure : 8 Salaries and Wages	CURRENT YEAR(22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Salary Exp	4,97,62,855.00	3,92,58,568.00
Employer's Contribution Towards NPS	35,08,068.00	21,50,861.00
Pension and Leave Salary	9,91,601.00	17,57,098.00
Medical Exp	4,69,779.00	5,40,554.00
LTC Charge	-	-
Employer's Contribution Towards CPF	8,25,915.00	6,19,852.00
Employer's Contribution Towards EPF	2,19,821.00	36,270.00
Arrear Salary	42,993.00	-
Transportation Allowance	22,142.00	11,873.00
Arrear DA	5,36,422.00	1,82,443.00
HRA	-	86,339.00
Honorarium	1,87,000.00	1,05,000.00
Bonus	1,45,068.00	82,896.00
Employer Subscription of Pension	2,43,273.00	2,19,757.00
Leave Encashment	1,05,800.00	16,11,562.00
Arrear of Deputation Allowance	1,080.00	-
GSIL Bene Fund MC	1,250.00	-
Ration Allowance	1,14,598.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,71,77,665.00</b>	<b>4,66,63,073.00</b>

(Amount Rs.)

Annexure : 9 Other Administration Expenses	CURRENT YEAR(22-23)	PREVIOUS YEAR (21-22)
Contract for Hiring Vehicle	10,08,085.00	8,86,677.00
Imprest Money	-	3,54,884.00
Internet & Data Charges	80,403.00	1,09,671.00
News Paper & Magazines	1,32,786.00	72,904.00
Office Expenses	27,04,111.00	10,69,195.00
Pantry Expenses	54,855.00	79,431.00
Reimbursement of TA/DA	7,10,719.00	-
Property Tax Aera Building	-	-15,00,000.00
Rates & Taxes	-	57,601.00
Parliamentary Rajbhasha Committee	-	-5,369.00
Training Programme	12,38,704.16	23,600.00
Refreshment Expenses	2,32,056.00	-
Bank Charges	57.97	-
Cleaning Services	8,371.00	-
LTC Advance	81,922.00	-
Reimbursement of Transfer Grant	6,09,208.00	-
Prior Period item	6,07,051.00	-
Reimbursement of Telephone Charges	1,79,495.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>76,47,824.13</b>	<b>11,48,594.00</b>

  
**मनु सूदन/ MANU SOODEN**  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)



# FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

## SCHEDULE 24 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

### 2. INVENTORY VALUATION

- 2.1 Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2 Raw material, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

### 3. INVESTMENTS

- 3.1 Investments classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.2 Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 3.3 Cost includes acquisition expansion like brokerage, transfer stamps.

### 4. EXCISE DUTY

Not Applicable

### 5. FIXED ASSETS

- 5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in Aid received from government. According to Accounting Standard 12, such grants are treated as Capital Grants. Grants are deducted from the gross value of

the assets at the time of capitalization of assets in arriving at its book value. When the grant is equal to the cost of the asset, the asset is shown in the balance sheet at nominal value at INR 1/-

- 5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital reserve

## **6. DEPRECIATION**

- 6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in Aid received from Government.
- 6.2 The depreciation is charged on the Fixed assets received by way of non-monetary grants as per rates of Income Tax Act and corresponding grant is also credited to income and expenditure account from capital reserve. Assets costing Rs 5,000/- or less are fully depreciated in the year of acquisition.

## **7. MISCELLANEOUS EXPENSES**

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the date it is incurred.

## **8. ACCOUNTING FOR SALES**

Not Applicable

## **9. GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES**

- 9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the related assets.
- 9.3 Government Grants / Subsidy are accounted on realization basis.
- 9.4 Refer schedule no. 13 for the grants received during the current year and previous year. Further, no non-monetary grant received during the current year and previous year.

## **10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the time of transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year end. The resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other case is considered to revenue.

## **11. LEASE**

Lease payments of INR 1,05,21,364.00 (PY INR 1,05,21,364) is recognized in the Income and expenditure account for the current year.

## **12. RETIREMENT BENEFITS**

12.1 Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) appoints the staff purely on Deputation/Short term contract basis from amongst the official working in Central Govt/Central Public Sector undertaking/Autonomous bodies in accordance with the 'Airports Economic Regulatory Authority Employees (Number of posts and conditions of service) Rules, 2011'. AERA is not liable to pay gratuity to its employees. Hence, no provision has been made in AERA books for such benefits.

12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that they are entitled to receive the benefit as at each year end.

**PLACE: NEW DELHI**

# FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

## SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

### 1. CONTINGENT LIABILITIES

Claims against the Company/ disputed demands not acknowledged as debt:

Reimbursement of Salary to AAI	Nil (PY INR NIL)
--------------------------------	------------------

### 2. CAPITAL COMMITMENTS

AERA's share on account of Capital commitments is INR 13.43 crore (PY INR 10.38 crores) in respect of construction of combined operational offices for DGCA, BCAS, AAIB and AERA at Safdarjung Airport, New Delhi.

AERA has received a mandate of INR 29.43 crores and during the current year has paid INR 8 crores (P.Y. INR 8 cores) to Airport Authority of India.

### 3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amounts to Rs. Nil.

### 4. CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the agreement amount shown in the balance sheet.

## 5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-Tax act 1961, no provision for income tax has been made.

## 6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTION PREVIOUS YEAR

## CURRENT YEAR

6.1 Values of Imports Calculated

NIL

NIL

On C.I.F BASIS

- Purchase of finished goods
- Raw Materials & Components
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

### 6.2 Expenditure in foreign currency:

a) Travel

NIL

NIL

b) Remittance and interest payment  
to financial institutions/banks in

foreign currency

NIL

NIL

c) Other expenditure

NIL

NIL

- commission on sales

NIL

NIL

- legal and professional expenses

NIL

NIL

- Miscellaneous expenses

NIL

NIL

- Training expenses

Rs.12,10,704.16 (INR)

NIL

**6.3 Earnings:**

Value of exports on FOB	NIL	<u>NIL</u>
-------------------------	-----	------------

**6.4 Remuneration to C & AG Auditors**

As Auditor	4,91,300.00	3,00,000.00
- Taxation Matters		
- For Management Services		
- For certification		
Other	NIL	NIL

- Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged whenever necessary.
- During the year 2022-23 excess provisions made in the previous years of Rs. 1,03,29,960/- were written back in the books of accounts.
- Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the balance sheet as at 31.03.2023 and the income and expenditure account for the year ended on that date.

PLACE: New Delhi

NAME: Col. MANU SOODEN

DESIGNATION: SECRETARY

मनु सूदन/ MANU SOODEN  
 सचिव / Secretary  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय)  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (Ministry of Civil Aviation)

## **Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Airports Economic Regulatory Authority (AERA) for the year ended 31 March 2023**

1. We have audited the attached Balance Sheet of Airports Economic Regulatory Authority (AERA), New Delhi as on 31<sup>st</sup> March 2023 and the Income & Expenditure Account/ Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971 read with rule 35(2) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008. These financial statements are the responsibility of AERA's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection reports/ CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account/ Receipts & Payments Account dealt with by this report has been drawn up in the format of Accounts as prescribed by Ministry of Finance.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Airports Economic Regulatory Authority as required under section 35 (1) of Airports Economic Regulatory Authority Act 2008 in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

## Comments on Accounts

### A. Balance Sheet

#### Liabilities

#### (a) Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) - ₹ 501.83 lakh

The above does not include provision for ₹ 9.56 crore on account of the salary of employees of AAI posted in AERA for the period from May 2009 to March 2015. This has resulted in understatement of Provision and Expenditure on Manpower Hiring amounting to ₹ 9.56 crore. A similar comment was also raised during the year 2020-21 and 2021-22, however, no corrective action has been taken by the management.

This has resulted in understatement of Current liabilities and provision and Other Administrative Expenditure to the extent of ₹ 9.56 crore”.

#### (b) Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) – ₹ 501.83 lakh

AERA has not made provision of amount of ₹17.23 lakh towards consultancy expenses in proportion/ percentage of work done during the Financial Year 2022-23.

Thus, non-booking of provision has resulted in understatement of ‘Current Liabilities and Provision’ and ‘Other Administrative Expenses by ₹17.23 lakh.

### B. Grant –in-Aid

During the year 2022-23, Airport Economic Regulatory Authority of India (AERA) received a total grant of ₹1,900 lakh from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of ₹428.27 lakh as on 01 April 2022 and interest earned on unspent grant was ₹8.33 lakh. Out of this total grant of ₹2,336.60 lakh, AERA could utilize ₹2,115.52 lakh only during 2022-23, leaving an unspent balance of ₹221.07 lakh as on 31.03.2023 (Data as per utilization certificate submitted to Administrative Ministry).

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- i) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Airports Economic Regulatory Authority as at 31 March 2023; and



- ii) In so far as it relates to the Income & Expenditure Account, deficit for the year ended on that date.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**



**(Rajiv Kumar Pandey)  
Director General of Audit (Infrastructure)  
New Delhi**

**Place: New Delhi**

**Dated: 30 October 2023**

**Annexure**

**(to the Separate Audit Report of Airports Economic Regulatory Authority of India for the year 2022-23)**

**1. Adequacy of Internal Audit System**

Internal audit has not been conducted for the period 2022-23.

**2. Adequacy of Internal Control System**

During audit, following deficiency was noticed in internal control system which needs to be addressed

(i) The old advances/ other amount recoverable were lying unadjusted for more than three years.

**3. System of Physical Verification of Fixed Assets**

The physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2022-23.

**4. System of Physical Verification of Inventory**

There was no inventory.

**5. Regularity in payment of Statutory Dues**

Statutory dues were paid on time.

Point	Comments on Accounts by C&AG	Replies of Authority
<p><b>A. Balance Sheet</b></p> <p><b>1. Liabilities</b></p>	<p><b>(a) Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) – Rs.501.83 lakh</b></p> <p>Memorandum of Understanding was signed on 24.11.2016 among Airport Authority of India, Directorate General of Civil Aviation (DGCA), Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), Airport Accident Investigation Bureau (AAIB) and Airports Economic Regulation Authority of India (AERA) for construction of combined operational offices for DGCA, BCAS, AAIB and AERA at Safdarjung Airport at an estimated cost of Rs. 303.80 crore. As per the details provided to Audit, AERA's share in this operational office is Rs. 18.38 crore.</p> <p>As per terms of the MoU, all the stake holders are required to deposit the funds with AAI commensurate with the progress of the work. AERA has a total commitment of Rs.26.208 crore (90% of Rs.29.12 crore) as on 31.03.2023 and has paid Rs.16.00 Crore to Airport Authority of India. AERA is required to pay a remaining amount of Rs.10.208 (Rs.26.208 crore-Rs.16 crore) to AAI. Thus, non-booking of liabilities has resulted in understatement of CWIP and current liabilities by Rs.10.208 crore.</p>	<p>In this references it is submitted that a combined operational office building is being constructed by the Airport authority of India (AAI) at Safdarjung airport for DGCA, BCAS, AERA and AAIB as a deposit work under MoU signed with all these stakeholders on 24.11.2016. AERA, being a stakeholder is required to deposit INR 18.38 crore to AAI in installments based on the progress of construction work. Out of which Rs.16.00 crore up to 31/03/2023 has already been released to AAI.</p> <p>Further, the Ministry of Civil Aviation vide its letter No <b>A-60015/269/2015-DG</b> dated <b>15.05.2023</b> has conveyed the revised estimated cost of Rs.374.99 crore.</p> <p>As per MoCA's aforesaid letter, now the total share of the AERA towards Construction of the combined operational offices is escalated to Rs.29.43 crore from Rs.18.38 crore out of which the amount of Rs.16.00 crore has already been released to AAI in the previous financial years. Accordingly, the remaining cost related to Construction of the combined operational offices amounting to Rs 13.43 Crores (Rs 29.43 crores- Rs 16.00 Crores) is only required to be paid to AAI.</p>

		<p>As the remaining funds have not been projected/received, we have disclosed the balance portion i.e., INR 13.43 crore as capital commitment through notes on accounts as per the requirement of Accounting Standards.</p> <p>This observation of the Audit has been noted for future compliance.</p>
	<p><b>(b) Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) - Rs. 501.83 lakh</b></p> <p>The above does not include provision for Rs. 9.56 crore on account of the salary of employees of AAI posted in AERA for the period 25.09.2009 to 31 March 2015. This has resulted in understatement of Provision and Expenditure on Manpower Hiring amounting to Rs. 9.56 crore. A similar comment was also raised during the year 2020-21 and 2021-22, however, no corrective action has been taken by the management.</p> <p>This resulted in understatement of Current liabilities and provision and Other Administrative Expenditure to the extent of Rs. 9.56 crore.</p>	<p>In this reference it is submitted that the payments towards reimbursement of salary of employees posted in AERA on loan basis are being made to AAI as per demands received from AAI from F.Y. 2015-16 and in accordance to the directions of MoCA. MoCA vide its OM dated 30.03.2022 has instructed that no reimbursement of past dues prior to 2015 without prior approval of MoCA shall be made.</p> <p>AERA had received a demand letter of INR 10.32 crores from AAI pertaining to the period 01<sup>st</sup> April 2015 to 28<sup>th</sup> February 2022 against which a payment of INR 7.12 crores was made in the current as well as various previous years.</p> <p>The provision as the year end of INR 3.21 crores is in line with the demand and payments made by the AAI for the aforesaid period.</p> <p>In view of the above, provisions in books of accounts have been made on the basis of provisional demands raised by the AAI since F.Y. 2015-16 and payments released by AERA against such demands.</p>

	<p><b>(C) Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) – Rs.501.83 lakh</b></p> <p>AERA has not made provision of amount of Rs.17.23 lakh towards consultancy expenses in proportion/ percentage of work done during the Financial Year 2022-23 and the same was due for payment during Financial Year 2023-24.</p> <p>Thus, non-booking of provision has resulted in understatement of ‘Current Liabilities and Provision’ and ‘Other Administrative Expenses by Rs.17.23 lakh.</p>	<p>AERA could not made this provision as the payment is required to be released on the basis of achieving of Milestone. AERA will book this expenditure, if incurred, as prior period expenditure in F.Y. 2023-24.</p> <p>The observation has been noted for future compliance.</p>
<p><b>B. Grant –in- Aid</b></p>	<p>During the year 2022-23, Airport Economic Regulatory Authority of India (AERA) received a total grant of Rs.1900.00 lakh from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of Rs.428.27lakh as on 01 April 2022 and interest earned on unspent grant was Rs.8.33 lakh. Out of this total grant of Rs.2336.60 lakh, AERA could utilize Rs. 2115.52 lakh only during 2022-23, leaving an unspent balance of Rs.221.07 lakh as on 31.03.2023 (Data as per utilization certificate submitted to Administrative Ministry).</p>	<p>In this regards, it is submitted that the unspent balance of Rs.221.07 Lakh from the total available Grant of Rs.2336.60 lakh for the FY 2022-23 is only 9.46% which comes to the average expenditure of only 1.25 Month incurred by AERA during 2022-23. Further, out of total unspent balance of Rs.221.07 Lakh lying with AERA, Rs.51.30 lakh pertained to Salary which was used for disbursement of Salary for the month of March 2023 paid on 01.04.2023. The rest unspent amount of Rs.169.77 lakh pertained to General Head which were used for payment towards contractual staff salaries for the month of March 2023 paid on 01.04.2023. Apart from the contractual staff salaries, payments related to statutory dues viz Electricity, lease, Taxes etc are also required to release in April 23.</p> <p>It may also be noted here that for the smooth functioning of AERA, necessary Grant in Salary Head and in General Head are being released by MoCA periodically in piecemeal during the whole financial year.</p>

		<p>Normally, the 1<sup>st</sup> installment of Grant under Salary /General is being released by MoCA in the month of April end or in May of the financial year.</p> <p>Hence, it is unescapable for AERA to keep minimum balance (i.e amount equal to one Month Salary in salary head and two months amount in General head) in its bank account at the beginning of the financial year.</p>
<b>(C)</b> <b>General</b>	<p><b>(a) Other Income (Schedule) – 103.83 lakh</b></p> <p>Excess Provision Written Back – Rs.103.29 lakh</p> <p>An amount of Rs.103.29 was booked in the “Excess Provision Written Back” under “Other Income” without proper reconciliation of provisions made in previous years.</p> <p>Hence, Audit cannot vouch safe the above transaction.</p>	<p>The excess provisions made in previous years has been checked and re-casted with the present liability as stated in 31.03.2023.</p> <p>After due care and reconciliations of each head the previous year’s excess provisions of Rs.103.29 lakh have been written back in the books of accounts. The same was also explained during the course of audit.</p>
	<p><b>(b) Receipt &amp; payment for the year ended 31.03.2023</b></p> <p>Establishment Expenses (Corresponding to Schedule -20) – Rs.502.15 lakh</p> <p>Administrative Expenses (Corresponding to Schedule -21) – Rs.688.03 lakh</p> <p>Above mentioned amounts does not match with corresponding Schedule-20 (i.e. Rs.571.77 lakh) and corresponding Schedule 21 (i.e.718.60 lakh).</p> <p>Hence, the statement is deficient to that extent.</p>	<p>Receipts &amp; Payments accounts are prepared on cash basis i.e. actual receipts and actual payments, however income and expenditure accounts are prepared on accrual basis i.e. it includes provision as well as accrued item’s effect in the income &amp; expenditure account.</p> <p>Due to these effects corresponding heads amounts in receipt and payment account showed different amounts while comparing with Income &amp; Expenditure account. Thus amount cannot be match with corresponding Schedule-20 and corresponding Schedule 21.</p>

Sr. No.	Points	Replies
1.	<p><b>Adequacy of Internal Audit System</b></p> <p>Internal audit has not been conducted for the period 2022-23.</p>	<p>In this context it is submitted that the Internal audit of this office for the period 01.04.2019 to 31.03.2022 was conducted by IAW Pr. Account office during 09.01.2023 to 13.01.2023.</p>
2.	<p><b>Internal Control System</b></p> <p>During audit, following deficiencies were noticed in internal control system and needs to be addressed:</p> <p>(i) The old advances/ other amount recoverable were not reviewed and lying unutilized for more than three years. Further, the Utilization Certificate submitted to the Ministry does not separately mention [as required under rule 238(4) of GFR] the advances provided to various parties which remain unadjusted.</p> <p>(ii) An amount of Rs. 2.77 lakhs (Salary and wages) and 0.78 lakhs (Ration Allowances) pertains to the period 2020-21 &amp; 2021-22. However, the same is not booked under the prior period items. Further, the prior period reconciliation is also not done by the Management.</p> <p>(iii) Two unrepresented cheques amounting Rs. 2630 has been lying for more than two years without review.</p>	<p>(i) The observation has been noted for future compliance. The matter shall be reviewed and as advised, corrective action shall be taken.</p> <p>(ii) The observation has been noted for future compliance. The matter shall be reviewed and as advised, corrective action shall be taken.</p> <p>(iii) This amount of Rs.2630 are pertained to two unrepresented cheques related to (i) PAO CGHS –Rs.2600/- &amp; (ii) PAO DGCA – Rs.30. Accordingly, letters from this office for returning both these unrepresented cheques have already sent to the aforesaid both offices. As and when these cheques received back in this office, fresh cheque will be issued.</p>

3	<b>System of Physical Verification of fixed assets</b> The physical verification of fixed assets was carried out during the financial year 2022-23.	No Comment.
4	<b>System of Physical Verification of Inventory</b> There was no inventory.	No Comment.
5	<b>Regularity in payment of statutory dues</b> Statutory due were paid on time.	No Comment.














# भारतीय प्रमुख हवाई अड्डे

## Indian Major Airports




PPP/JVC Airports	
Delhi	●
Mumbai	
Hyderabad	
Bengaluru	
Cochin	
Kannur	
Lucknow	
Mangalore	
Ahmedabad	
Goa (MOPA)	
*Chandigarh	
<b>Total : 11</b>	

AAI Airports	
Calicut	●
Chennai	
Kolkata	
Bhubaneswar	
Patna	
#Jaipur	
Guwahati	
Trivandrum	
*Pune	
Goa	
<b>Total : 10</b>	

Notified By Government	
Srinagar	●
Shirdi	
<b>Total : 2</b>	

AAI Airports, But Notified As Major Airports By GoI.	
Amritsar	★
Varanasi	
Raipur	
Trichy	
<b>Total : 4</b>	



भारत सरकार  
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  
 (नागर विमानन मंत्रालय के आधीन सांविधिक निकाय)  
 ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स,  
 सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003

Government of India  
 Airports Economic Regulatory Authority of India  
 (A statutory body under Ministry of Civil Aviation)  
 AERA Building, Administrative Complex, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003  
[www.aera.gov.in](http://www.aera.gov.in)